

रोजगार और नियोजन

वर्ष-22, अंक-18/19, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित



09/16 अक्टूबर 2024, बुधवार, पृष्ठ संख्या 24, निःशुल्क

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार

नक्सलियों के बेस कैम्प और गुरिल्ला युद्ध शैली पर पुलिस की जीत, मुठभेड़ में मारे गए 31 नक्सली

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ पुलिस और सुरक्षा बलों को ऐतिहासिक कामयाबी मिली है। 4 अक्टूबर को हुई दंतेवाड़ा-नारायणपुर सीमा पर हुई मुठभेड़ में मारे गए 31 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इनमें कई नक्सली डीकेएसजेडसी, डीवीसी, पीएलजीए कंपनी नंबर 6 के कैडर हैं। मारे गए माओवादियों में 18 पुरुष एवं 13 महिला कैडर हैं। मृत नक्सलियों में 25 लाख की इनामी DKSZC एवं पूर्वी बस्तर इंचार्ज नीति उर्फ उर्मिला भी शामिल। नक्सलियों के पास से एक एलएमजी, चार एक-47, छह एसएलआर, तीन ईसास रायफल, दो थ्रीन आर श्री सहित कई अन्य हथियार बरामद हुआ है।

तीन अक्टूबर को जिला नारायणपुर/दंतेवाड़ा से डीआरजी व एसटीएफ की संयुक्त पार्टी थाना ओरछा और बरसुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम गोवेल, नैदूर, व थुलथुली की ओर रवाना हुये थे। पुलिस को पूर्वी बस्तर डिवीजन, पीएलजीए कंपनी 6, इंद्रावती एरिया कमिटी, प्लाटून 16 इत्यादि के शीर्ष नक्सलियों के बारे में अहम इनपुट मिला था।

गुरिल्ला युद्ध शैली व बेस रणनीति नाकाम



छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी इस सफलता को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि यह माओवादियों के गुरिल्ला युद्ध शैली और उनके बेस पर जवाबी कार्रवाई है। PWG की रणनीति में छत्तीसगढ़ में कुछ बड़े बेस कैम्प बनाना शामिल रहा है। 1980 से ही उन्होंने अपनी इस नीति पर काम करना शुरू कर दिया था वर्तमान में थुलथुली जो मुठभेड़ हुई है, वह भी पहुँचविहीन तथा घनी पहाड़ियों

के बीच स्थित है, जहां दोपहर बाद ही सूरज दिखाई पड़ता है। माओवादी अपने डिवेटरशिप ऑफ़ प्रोलेटेरियट के अंतर्गत अब तक सुरक्षा बलों के मुकाबले लगभग दस गुना ज्यादा आम आदमियों को मुखबिर आदि के नाम पर मौत के घाट उतार चुके हैं। यहाँ नक्सल गतिविधियों का पैटर्न बताता है कि माओवादियों को यहाँ की जमीन चाहिए थी, जिससे वह हिंसा जारी रख सकें।

नक्सलियों की पहचान सुनिश्चित की इतने बड़े नक्सल ऑपरेशन के बाद नक्सलियों के शव कब्जे में लेकर उनकी पहचान सुनिश्चित करना पुलिस और अर्धसैनिक बलों की बेहतर रणनीति और प्रशिक्षण का परिणाम है। इन 16 नक्सलियों पर 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा का इनाम घोषित। पुलिस और नक्सल विरोधी अभियान में जुटे जवानों को इजरायल से आयात किए गए हेरोन ड्रोन और नाइट विजन डिवाइस मुहैया कराए गए हैं। इससे वह नक्सलियों के हर मूवमेंट पर नजर रखने में मददगार हैं।

चप्पे-चप्पे से वाकिफ हैं जवान

डीआरजी बल के जवान भौगोलिक परिस्थितियों से परिचित हैं। सुरक्षा बलों द्वारा लगातार सर्चिंग से वह इस क्षेत्र के चप्पे-चप्पे से वाकिफ हैं। ऐसे में भारी बरसात में उफनते नदी नालों और माड़ की पहाड़ियों को पर कर नक्सलियों के गढ़ में बड़ी सफलता मिली।

साय सरकार को शाह की शाबासी

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद विरोधी अभियान में लगातार मिल रही सफलता को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने साय सरकार की पीठ थपथपाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नक्सल प्रभावित राज्यों में वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की। इस दौरान शाह ने कहा सीएम श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही आक्रामक नीति की वजह से नक्सली बैकफुट पर हैं। उन्होंने वामपंथी उग्रवादियों से समाज के मुख्यधारा में लौटने का आह्वान किया। बैठक में श्री शाह ने कहा नक्सली मानवाधिकार के सबसे बड़े उल्लंघनकर्ता हैं जो 8 करोड़ से अधिक लोगों को विकास और बुनियादी कल्याण के अवसरों से वंचित रह रहे हैं। उन्होंने नक्सल प्रभावित राज्यों से छत्तीसगढ़ के अनुभव का लाभ लेने के लिए तकनीक और आपसी समन्वय बैठाने का आह्वान किया।

विजयादशमी

बुराई पर अच्छाई की जीत

प्रिय पाठकों,

दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं! यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हुए, हर बुराई पर विजय प्राप्त की जा सकती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आइए हम सब प्रदेश के विकास में अपनी अग्रणी भूमिका सुनिश्चित करें

शुभ दशहरा!

मयंक श्रीवास्तव,
प्रधान संपादक
रोजगार और नियोजन

रोजगार और नियोजन अब डीपीआर की वेबसाइट पर भी (शीघ्र ही एप पर भी लॉन्च किया जाएगा)

छत्तीसगढ़ शासन की मंशानुरूप राज्य के प्रतिष्ठित समाचार पत्र रोजगार और नियोजन अब डीपीआर की वेबसाइट

<https://dprcg.gov.in/>


पर ऑनलाइन उपलब्ध हो रहा है। अब अपने स्मार्टफोन, टैबलेट या कंप्यूटर पर समाचार पत्र को एक्सेस कर सकते हैं।

पानी की बूंद-बूंद को सहेजने का प्रयास 'जल जगार'

साय सरकार ने पर्यावरण अनुकूल विकास के अंतर्गत धमतरी जिले में जल संरक्षण का अभिनव नवाचार विकसित किया।

स्वच्छ गंगरेल अभियान और इको-टूरिज्म योजना

साय सरकार की पर्यावरण अनुकूल पहल के अंतर्गत फरवरी 2024 में 'स्वच्छ गंगरेल अभियान' शुरू किया गया, जिसमें 29 संगठनों और 700-800 प्रतिभागियों की भागीदारी के साथ स्वच्छता अभियान चलाया गया। गंगरेल बाँध के 3 किमी परिधि से 35 मिनी ट्रक प्लास्टिक कचरा एकत्र किया गया। इस अभियान का उद्देश्य धमतरी जिले की पहचान गंगरेल को एक आकर्षक पर्यटक स्थल बनाना है



सीएम साय की प्रेरणा से 'जल जगार' अभियान के तहत कई जल संरक्षण तकनीकों का प्रयोग किया गया, जिनमें अमृत सरोवर, नदी किनारे वृक्षारोपण, सोखता गड्ढा और फसल चक्र का पालन आदि शामिल हैं। हर पंचायत में इन तकनीकों का प्रयोग किया गया, जिससे पानी की कमी से जूझ रहे क्षेत्रों में जल स्तर में सुधार हुआ। इससे जल स्रोतों में पानी की कमी और समस्याओं का समाधान भी किया गया। मानसून से

पहले छत पर वर्षा जल संचयन के निर्माण और पानी को पुनर्भरण और पुनः उपयोग के उपायों पर जोर दिया गया। समुदाय को जल संकट के प्रति जागरूक करना, उद्योगों में पानी के सही उपयोग को बढ़ावा देना और जल संरक्षण को रोजगार से जोड़ना भी इन प्रयासों का हिस्सा था। फसल चक्र परिवर्तन के तहत खेती के तरीकों में बदलाव कर पानी की कम खपत वाली फसलों को बढ़ावा दिया गया, और शहरों

में पानी से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए सभी लोगों को शामिल किया गया। इन सभी कदमों से जल संरक्षण एक जन-आंदोलन बन गया।

महिलाओं की भूमिका और ब्रांडिंग का महत्व

ग्रामीण महिलाएं जल जगार अभियान के केंद्र में हैं। गांव में बने 'जल बहिनी' समूह द्वारा घर-घर में जल संचयन संरचनाएं स्थापित की गईं, जिससे अभियान को व्यापक सफलता मिली। वर्तमान में जिले की 370 समितियों में से 330 समितियों का नेतृत्व महिलाएं ही कर रही हैं। 'जल जगार' अभियान का प्रतीक 'पिकू' नामक मयूर को बनाया गया, जो जल संरक्षण का संदेश देता है। धमतरी कलेक्टर नम्रता गांधी ने बताया कि ग्रामीणों को जल जगार को लेकर जागरूक करने और शिक्षित करने के लिए कई सफल प्रयास किए गए। धमतरी के हर ब्लॉक में एक जल शक्ति केंद्र स्थापित किए गए। भारत सरकार से पुरस्कृत और जल प्रहरी के नाम से विख्यात मध्यप्रदेश के नीरज वानखेड़े को जल संरक्षण प्रशिक्षण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। जिले के 370 ग्राम पंचायतों में लगातार जल जगार अभियान चलाया जा रहा था, जिसके फलस्वरूप आज जिले का भूजल स्तर बढ़ा है।

रोजगार सूचना

एचयूआरएल

पद : ग्रेजुएट इंजीनियर
पद संख्या: 212
आवेदन : ऑनलाइन
अंतिम तिथि: 21 अक्टूबर 2024
www.hurl.net.in

बीपीएससी

पद : विभिन्न पदों के लिए
पद संख्या: 1957
अंतिम तिथि: 18 अक्टूबर 2024
www.bpsc.bih.nic.in

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

पद : कार्यालय परिचर
पद संख्या: 108
अंतिम तिथि: 21 अक्टूबर 2024
nabard.org

एसपीएल भोपाल

पद: विभिन्न शिक्षण पद
पद संख्या: 22
अंतिम तिथि: 21 अक्टूबर 2024
spabhopal.ac.in

भारतीय तटरक्षक बल

पद: चपरासी
पद संख्या: 36
अंतिम तिथि: 4 नवंबर 2024
joinindiancoastguard.cdac.in

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई

पद: कनिष्ठ सहायक और विभिन्न पद
पद संख्या: 16
अंतिम तिथि: 21 अक्टूबर 2024
iitbhlai.ac.in

सीयूजे

पद: सहायक, लिपिक और विभिन्न पद
पद संख्या: 33
अंतिम तिथि: 25 अक्टूबर 2024
cuja.ac.in



रोजगार और नियोजन

प्रधान संपादक : मयंक श्रीवास्तव
संपादक : जवाहर लाल दरियो
सहायक संपादक : गीतांजलि नेताम
संपादकीय सलाहकार : अरविन्द मिश्रा
वितरण व्यवस्था : मोहन मिश्रा, विक्रान्त
संपादकीय सहयोग : संदीप सिंह
ग्राफिक डिजाइनर : धनेश कुमार दिवाकर
डेटा एंट्री ऑपरेटर : अंजुशानी, राकेश साहू

- कार्यालय पता -

छत्तीसगढ़ संवाद

(छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग का उपक्रम)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19,

अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)

फोन-0771-2512582, 2512583

ईमेल पता

rojgaraurniyojan@gmail.comरोजगार और नियोजन
निःशुल्क है।

रोजगार और नियोजन में प्रकाशित लेखों में व्यक्ति विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। रोजगार और नियोजन में प्रकाशित होने वाले लेखों के लिए लेखकों को नियमानुसार मानदेय प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र रायपुर रहेगा।

पिक ऑफ द वीक



सीएम श्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भेंटकर नक्सल विरोधी अभियान तथा विकास कार्यों की जानकारी दी।

मिशन वात्सल्य योजना

18 साल से कम उम्र के बच्चों को मिलेगा 4000 रुपए महीना

आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को सहायता, मिशन वात्सल्य योजना के तहत बड़ा कदम

साय सरकार द्वारा प्रवर्तकता और मिशन वात्सल्य कार्यक्रम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 4,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता देने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। योजना में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को सहायता दी जाएगी, ताकि वे बेघर होने, बाल श्रम, बाल विवाह, या पलायन जैसी समस्याओं का सामना न करें।

पात्रता और श्रेणियाँ निवारक श्रेणी:

जैविक परिवार में रहने वाले बच्चों को उनके परिवार में बने रहने और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहायता दी जाएगी। इसके तहत, उन बच्चों को वित्तीय मदद दी जाएगी, जो परिवार में रहते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पुनर्वास श्रेणी: उन बच्चों को सहायता दी जाएगी जो बाल देखरेख संस्थाओं में रहते हैं या जिनके माता-पिता आर्थिक रूप से इतने कमजोर हैं कि वे बच्चों की



देखभाल करने में असमर्थ हैं।

वार्षिक आय सीमा

इस योजना का लाभ लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की वार्षिक आय 72,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि अन्य क्षेत्रों के लिए यह सीमा 96,000 रुपए तय की गई है।

चयन प्रक्रिया

चयन जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा किया जाएगा, जो समाजसेवकों, आउटरीच वर्कर्स, वार्ड समिति या ग्राम पंचायत की मदद से पात्र बच्चों और परिवारों की पहचान करेंगे। इसके बाद,

चाइल्ड हेल्पलाइन (1098), या अन्य बाल संरक्षण समितियों के माध्यम से भी बच्चों का चिन्हांकन हो सकता है।

जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति

मिशन वात्सल्य योजना के तहत, बच्चों या परिवारों का आवेदन मिलने के बाद जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति प्राप्त होगी। इसके बाद, बाल कल्याण समिति द्वारा स्थापन आदेश जारी किया जाएगा, और बच्चों के नाम पर बैंक खाते खोले जाएंगे।

लाभार्थी

इस योजना के तहत वे बच्चे पात्र होंगे जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है, एकल माता-पिता के बच्चे, या जिनके माता-पिता जेल में हैं या गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। साथ ही, प्राकृतिक आपदाओं के शिकार, अवैध मानव परिवहन के पीड़ित, और एचआईवी/एड्स प्रभावित बच्चे भी इस योजना के अंतर्गत 4,000 रुपए प्रति माह की सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

ईस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिस के 3115 पदों पर होगी भर्ती

ईस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिस के 3000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के अंतर्गत फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मशीनीस्ट समेत विभिन्न ट्रेड्स में भारतीय की जाएगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rrcer.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर 2024 निर्धारित किया गया है। शैक्षणिक योग्यता: मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ दसवीं पास। उम्मीदवार आईटीआई सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। आयु सीमा: न्यूनतम 15 वर्ष, अधिकतम 24 वर्ष, अधिकतम उम्र सीमा में ओबीसी को 3 साल एससी-एसटी को 5 साल और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल की छूट दी जाएगी। कैसे करें आवेदन: ऑफिशियल वेबसाइट neer.org पर जाएं। जूनियर इंजीनियर भर्ती 2024 के लिए "ऑनलाइन आवेदन करें" लिंक पर क्लिक करें। ऑनलाइन अप्लाई के विकल्प पर क्लिक करें। आवेदन फार्म में मांगी गई सभी जानकारी दर्ज करें। जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें। फीस का भुगतान करके फार्म सबमिट करें। इसका प्रिंटआउट लेकर रखें। आवेदन शुल्क: ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 100 रुपए। एससी, एसटी, महिला उम्मीदवार: निःशुल्क।

नाबार्ड में 108 ऑफिस असिस्टेंट पदों पर भर्ती, आवेदन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2024

नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में ग्रुप सी के तहत ऑफिस असिस्टेंट पदों पर भारतीय का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 अक्टूबर 2024 से शुरू की गई है। आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.nabard.org पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2024 निर्धारित किया गया है। शैक्षणिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं पास। आयु सीमा: न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 30 साल। कैसे करें आवेदन: ऑफिशियल वेबसाइट www.nabard.org पर जाएं। कैरियर विकल्प देखें। यहां आवेदन करें विकल्प पर क्लिक करें। आवेदन रजिस्टर्ड करने के लिए नए पंजीकरण के लिए यहां क्लिक करें तब पर क्लिक करें। नाम, डिटेल्स और ईमेल आईडी दर्ज करें। फीस का भुगतान करें। सबमिट बटन पर क्लिक करें। फार्म की एक कॉपी डाउनलोड करके रख लें। चयन प्रक्रिया: प्रीलिम्स एक्जाम, उसके बाद मेंस एक्जाम, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अंत में मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।

हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 30 अक्टूबर तक

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी मुख्य परीक्षा 2025 हेतु परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर 2024 से बढ़ाकर 30 अक्टूबर 2024 तक कर दी गई है। इस अवधि के दौरान, छात्र विशेष विलम्ब शुल्क 1540 रुपए प्रति छात्र के साथ फॉर्म भर सकते हैं। समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं को निर्देश दिया गया है कि वे इस समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन प्रविष्टि और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को पूर्ण करें। निर्धारित समय के पश्चात पोर्टल पुनः प्रारंभ नहीं किया जाएगा।

15 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होगा राज्य सेवा परीक्षा 2023 साक्षात्कार

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2023 के मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए सूचना पत्र जारी किया है, जिसमें दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार तथा वरीयता क्रम में पद के चयन के लिए अग्रमान्यता (पोस्ट प्रिफरेंस) का ऑनलाइन आवेदन लिया गया है। इस भरे हुए वरीयता क्रम (अग्र मान्यता) को साक्षात्कार फॉर्म में आवश्यक दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया जाना है। इसके लिए वेबसाइट पीएससी डॉट सीजी डॉट जीओवी डॉट इन <https://psc.cg.gov.in/> है। चिन्हांकित 703 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 15 अक्टूबर 2024 से 5 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा।

HURL में 212 पदों पर होगी भर्ती

हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड ने ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी सहित अन्य 212 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2024 तक निर्धारित किया गया है। शैक्षणिक योग्यता: संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग की डिग्री, डिप्लोमा। कैसे करें आवेदन: उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट hurl.net.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया: कंप्यूटर आधारित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर चयनित किया जाएगा।

रेलवे भर्ती बोर्ड नॉन-टेक्निकल कैटेगरी में 3445 पदों पर भर्ती

रेलवे भर्ती बोर्ड नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में अंडर ग्रेजुएट लेवल भर्ती के लिए आवेदन 21 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट www.rrbapply.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2024 निर्धारित किया गया है। शैक्षणिक योग्यता: 12वीं पास, हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का नॉलेज। कैसे करें आवेदन: ऑफिशियल वेबसाइट www.rrbapply.gov.in पर जाएं। जूनियर इंजीनियर भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले लिंक पर क्लिक करें। ऑनलाइन अप्लाई के विकल्प पर क्लिक करें। आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी दर्ज करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ.ग.)

विज्ञापन क्रमांक 6114/दो-12-48/2007,

बिलासपुर, दिनांक 03/10/ 2024

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि	दिनांक 04-10-2024, दिन शुक्रवार प्रातः 10:30 बजे से
आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	दिनांक 21-10-2024, दिन सोमवार संध्या 05:00 बजे तक
आवेदन पत्र जिला न्यायालय, बिलासपुर में निर्धारित ड्रॉप बाक्स के माध्यम से ही स्वीकार किए जायेंगे।	

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ.ग.) के स्थापना के अंतर्गत रिक्त आकस्मिकता निधि से (कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले) कर्मचारी वाहन चालक के एक रिक्त पद की पूर्ति सीधी भर्ती से किये जाने हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की कुल संख्या	आरक्षित पद												अनारक्षित पद			
			अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग							
			मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग
1	वाहन चालक	01	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

महत्वपूर्ण टीप :-

- उपरोक्त पदों की संख्या स्वीकृत पद के अनुसार नवीन पद मिलने पर या रिक्त होने पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
- परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के पास सुरक्षित रहेगा।
- अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए आरक्षित है, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के परीक्षार्थियों से प्राप्त आवेदन पत्र, अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत विचारित किए जाएंगे।
- भर्ती कार्यवाही आरक्षण एवं रोस्टर के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) कमांक-19688/2022 में पारित अंतिम आदेश के अधीन होगा।

1. वेतनमान

- कलेक्टर, बिलासपुर द्वारा समय-समय पर निर्धारित दैनिक वेतन।

2. भर्ती की पात्रता एवं शर्तें

1. वाहन चालक के पद हेतु:-

- (अ) किसी भी राज्य शासन के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से न्यूनतम कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होना चाहिए।
- (ब) व्यवसायिक हल्का मोटरयान (LMV Commercial) चलाने का वैध अनुज्ञप्ति धारण करता हो (जीवित लायसेंस) (प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य) तथा सभी प्रकार के वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। योग्य मैकेनिक जिसके पास संबंधित आई.टी.आई. का प्रमाण पत्र होगा, को प्राथमिकता दी जावेगी।
- (स) स्वस्थ होना चाहिए।
- (द) यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी (बोली / स्थानीय भाषा (बोली) का ज्ञान होना चाहिए।

नोट :-

- (अ) शासकीय/अर्धशासकीय संस्थानों द्वारा जारी ड्राइवर के कार्य का अनुभव हो तो प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करें। निजी व्यक्ति/निजी संस्थान द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जावेगा।
- (ब) प्रत्येक आवेदक अपने आवेदन पत्र में अपने समस्त शैक्षणिक योग्यता और अन्य संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे। आवेदक द्वारा शैक्षणिक योग्यता के संबंध में दी गई जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाई जाती है तो चयन प्रक्रिया के किसी भी प्रक्रम पर अथवा नियुक्ति होने की स्थिति में, नियुक्ति किसी भी समय पर निरस्त / समाप्त की जा सकेगी। साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी। आवेदक की नियुक्ति के पश्चात् उक्त तथ्य के ज्ञात होने पर आवेदक के ऐसे कृत्य को गंभीर कदाचरण माना जावेगा तथा केवल इसी आधार पर ही उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा।

3. आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें

- अभ्यर्थी का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी)
- आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी आयु दिनांक 01 जनवरी, 2024 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ के स्थायी / मूल निवासी अभ्यर्थी के लिये उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, महिला इत्यादि के लिये अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, यह छूट यथावत् लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदकों के लिये अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी।

- आयु संबंधी प्रमाण के लिये कक्षा पांचवी (प्राथमिक परीक्षा) कक्षा आठवीं (पूर्व माध्यमिक परीक्षा) के प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि उल्लेखित हो मान्य होगा। जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (अ) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
 - (ब) कोई पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियों जीवित हो, और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, नियुक्ति का पात्र नहीं होंगे।
 - आवेदक को अच्छा चरित्र, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वास्थ्य होना अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता उसकी नियुक्ति हेतु अनर्ह होगी।
 - कोई भी उम्मीदवार बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1929 के अंतर्गत महिला अभ्यर्थी है, तो उसने वयस्कता प्राप्त करने के बाद यदि 21 वर्ष से कम उम्र के पुरुष से विवाह करती है तथा यदि पुरुष वयस्क अभ्यर्थी है, तो वह 18 वर्ष से कम उम्र की महिला से विवाह करता है तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
 - अभ्यर्थी किसी शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत करते हुए सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया गया हो या उसे घोर कदाचरण के लिए पदच्युत या सेवा समाप्त किया गया हो या निकाला गया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
 - ऐसी अभ्यर्थी जिसे किसी गंभीर, नैतिक एवं किसी महिला के लज्जा के अवमान या यौन अपराध के लिए किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

क्रमशः

महत्वपूर्ण :-

- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपने अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। परीक्षा में सम्मिलित किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, आवेदक को अर्ह मान लिया गया है, चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी।
- अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ही आरक्षित है। ऐसे अभ्यर्थी हो मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी हैं। उनके द्वारा अन्य राज्य के अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी उन्हें विज्ञापित पद के विरुद्ध अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के रूप में विचार किया जावेगा, आरक्षित पद के विरुद्ध नहीं।

4. उच्चतम आयु सीमा में छूट

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी:-

- 4(एक) (1) :-** यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जायेगी।
- 4 (एक) (2) :-** छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी / अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टीजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों / मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रहेगी, यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।
- 4 (एक) (3) :-** ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जावेगा, परंतु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- स्पष्टीकरण:-** छंटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है।
- 4(एक) (4) -** ऐसे अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो योग निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 4 (एक) (5) :-** महिलाओं के लिए आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष से शिथिलनीय होगी, जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।
- 4 (एक) (6) :-** सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1-2/2002/1/3 दिनांक 02-06-2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मों के रूप में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि 01 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है (अनुसूचित जाति / विधवा / परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।
- 4 (एक) (7) :-** स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) नगर सेवा के नाम कमीशनड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 4 (एक) (8) :-** विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा, में अधिकतम 5 वर्ष की छूट रहेगी।
- 4 (दो) (1) :-** आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी 3/10/85/3/1 दिनांक 29-06-1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- 4 (दो) (2) :-** विक्रम पुरस्कार सहित, राजीव गांधी पुरस्कार, गुन्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीण चंद भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 19-2/2005/1-3 दिनांक 01-12-2006 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- 4 (दो) (3) :-** उत्कर्ष खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एक 6-10/2004/1-9 दिनांक 06-07-2010 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- टीप :-**(1) बिन्दु क्रमांक 4 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी। (2) बिन्दु क्रमांक 4 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यो/

योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है, तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिंदु क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

- उदाहरण :-** यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति का होने के साथ-साथ विक्रम पुरस्कार प्राप्त धारक हो तो उसे अनुसूचित जाति वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी। अन्तरजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जाएगी। अनुसूचित जाति के लिए आयु सीमा 05 वर्ष की छूट अधिकतम आयु की सीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा, अतः विक्रम पुरस्कार अथवा अंतरजातीय विवाह के निर्धारित आयु की छूट नहीं दी जायेगी।
- यदि कोई अभ्यर्थी कोई छूट आयु के संबंध में लेना चाहता है, तो राज्य सरकार के आयु सीमा के निर्देशों का उल्लेख एवं नियम बताते हुये दस्तावेज संलग्न कर छूट प्राप्त कर सकता है।
- जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी।
- जिन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र समयावधि में कार्यालय में प्राप्त होगा, उन आवेदन पत्रों की भर्ती कमेटी द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार छंटई के पश्चात् पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़) की वेबसाइट <https://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> पर अपलोड की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा अपात्रता के संबंध में आपत्ति की जा सकेगी। दावा आपत्ति की अंतिम तिथि जिला एवं सत्र न्यायालय, बिलासपुर छ०ग० के वेबसाइट <https://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> पर अपलोड किया जावेगा। दावा आपत्ति के अंतिम तिथि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
- दावा आपत्ति के निराकरण पश्चात् पात्र आवेदकों को रोल नंबर आबंटित किया जावेगा। आबंटित रोल नंबर, नाम, पिता/पति का नाम एवं पता सहित सूची, परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी जिला एवं सत्र न्यायालय, बिलासपुर के वेबसाइट <https://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> पर अपलोड की जायेगी एवं जिला न्यायालय बिलासपुर के सूचना पटल पर भी योग्य उम्मीदवारों की सूची चस्पा की जायेगी, पृथक् से कोई सूचना प्रदान नहीं की जावेगी। उम्मीदवार वेबसाइट से अपना रोल नंबर डाउनलोड कर सकेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों की छंटई (Short listing) की प्रक्रिया एवं मापदण्ड भर्ती कमेटी द्वारा निर्णित किया जायेगा, जो अंतिम होगा।
- अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जिला न्यायालय, बिलासपुर के वेबसाइट <https://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड करके स्वयं का फोटो चस्पा करते हुए एक वैध पहचान पत्र के साथ निर्धारित परीक्षा तिथि, समय एवं स्थान में उपस्थित हो सकेंगे।
- यदि किसी कारण से अभ्यर्थी को परीक्षा की सूचना विलंब से प्राप्त होती है तो, उसके लिए कार्यालय की जिम्मेदारी नहीं होगी। इस संबंध में अभ्यर्थी स्वयं सचेत रहे और उक्त वेबसाइट का समय-समय पर अवलोकन करते रहे।
- त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, अस्पष्ट एवं बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा, जिसकी सूचना अभ्यर्थी को देने हेतु बाध्यता नहीं रहेगी।
- कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान व समय पर उपस्थित रहना होगा, उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
- अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में कौशल परीक्षा में शामिल करने हेतु आवेदनों की Short listing की जावेगी, जिसका मापदण्ड प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा गठित समिति तय करेगी।
- अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में कौशल परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।

15. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

- आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 04-10-2024, दिन शुक्रवार को प्रातः 10:30 बजे से बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से “आवेदित पद का नाम “वाहन चालक” लिखा हो, आवेदन कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ.ग.) को संबोधित होना चाहिए। शासकीय सेवारत अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र जिला एवं सत्र न्यायालय, बिलासपुर (छ०ग०) के जिला न्यायालय परिसर में रखे निर्धारित आवेदन जमा करने संबंधी पेटी (ड्रॉप बाक्स) पर विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से दिनांक 21-10-2024, दिन सोमवार संध्या 05:00 बजे तक डाले जा सकते हैं। अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा आवेदन जमा करने संबंधी पेटी (ड्रॉप बाक्स) से भिन्न प्रकार जैसे-स्पीड पोस्ट, डाक, रजिस्टर्ड डाक, ई-मेल, कोरियर,

क्रमशः

फैक्स आदि के माध्यम से प्राप्त किसी भी आवेदन पत्र कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार भी स्वीकार्य नहीं होगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण पत्र एवं वाहन चालक के अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं की LMV Commercial की ड्राईविंग लाईसेंस की स्व-अभिप्रमाणित (Self Attested) प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

- विज्ञापन व आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति जिला एवं सत्र न्यायालय, बिलासपुर छ.ग. की वेबसाइट <https://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> से डाउनलोड की जा सकती है, निर्धारित प्रारूप से भिन्न प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया जावेगा।
- अभ्यर्थी को आवेदन पत्र पर अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा करना अनिवार्य होगा।
- जन्म तिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा प्राथमिक शाला / पूर्व माध्यमिक शाला परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची, जिसमें जन्म तिथि का उल्लेख हो, की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करे।
- ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता / विभाग प्रमुख द्वारा प्रदत्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति / अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। (अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पश्चात् का संलग्न करना होगा) यदि अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं होने की दशा में उनका आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- अभ्यर्थी, आवेदन पत्र प्रेषित करने के पूर्व आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित कर लें, अन्यथा बाद में आवेदन पत्र से भिन्न प्राप्त दस्तावेजों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा, साथ ही इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।
- प्रत्येक अभ्यर्थी को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिये निर्देशों तथा आवेदन पत्रों में वांछित सभी जानकारी देखकर, अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें, यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो, उसकी पूरी जवाबदारी अभ्यर्थी की होगी। त्रुटि अथवा अपूर्णता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा, तथा इस संबंध में कोई भी पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।

16. नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया

(1) नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :-

- आकस्मिक निधि के पद हेतु चयन हेतु कौशल परीक्षा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा गठित भर्ती कमेटी द्वारा आयोजित की जा सकेगी।
- आकस्मिक निधि के (क्लेक्टर दर) पर वेतन पाने वाले कर्मचारियों पद वाहन चालक के पद पर चयन हेतु 50 अंको की कौशल एवं शारीरिक परीक्षा / साक्षात्कार आयोजित की जावेगी, जिसमें अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता एवं कार्य के कुशलता इत्यादि बिन्दुओं पर परखा जायेगा।
- उपरोक्त उल्लेखित पदों के चयन हेतु कौशल एवं शारीरिक परीक्षा / साक्षात्कार आयोजित की जावेगी। कौशल एवं शारीरिक परीक्षा / साक्षात्कार में प्राप्त अंको के आधार पर प्रवीण्य सूची तैयार की जावेगी और उक्त सूची के अनुसार कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा। उपरोक्त पदों पर चयनित उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो कि 1:3 के अनुपात में होगी और अधिकतम 01 वर्ष के लिए वैध होगी। यदि चयनित अभ्यर्थी, चयनित पद पर कार्यभार ग्रहण करने के 01 वर्ष के भीतर पद से त्यागपत्र देता है या उसे पदमुक्त कर दिया जाता है, मृत्यु या अन्य कारणों से उक्त पद रिक्त हो जाता है तो उक्त पद को रिक्त मानते हुए प्रतीक्षा सूची में उल्लेखित अभ्यर्थियों को उक्त पद हेतु कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जा सकेगा।
- सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर का पत्र क्रमांक 1269/23/मू.म.नि./2014/एक-7 दिनांक 23-08-2014 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जावेगी।
- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-13-4/2006/आ.प्र./1-3 दिनांक 29-06-2013 एवं परिपत्र क्रमांक एफ-13-22/2012/आ.प्र./1-3 दिनांक 24-09-2013 के अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग के चयनित उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं प्रारूप (एक) के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- अभ्यर्थियों के चयन का आधार कौशल एवं शारीरिक परीक्षा / साक्षात्कार के प्राप्तांक रहेंगे, जिसके आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। कौशल एवं शारीरिक परीक्षा / साक्षात्कार में समान अंक प्राप्त होने पर अधिक उम्र के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी। जन्मतिथि भी समान होने पर आठवीं परीक्षा में अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी। यदि आठवीं में भी समान अंक हो जाते हैं तो, ऐसी स्थिति में चयन समिति अन्य आधारों पर विचार कर निर्णय हेतु स्वतंत्र होगी।
- आकस्मिक निधि के रिक्त पदों की संख्या से 10 गुना तक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सभी

उम्मीदवारों को कौशल एवं शारीरिक परीक्षा / साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा, किन्तु रिक्त पदों की संख्या से 10 गुना से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर 8 वीं की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार कर रिक्त पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों को कौशल एवं शारीरिक परीक्षा / साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

- यदि अभ्यर्थियों में से ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन प्रस्तुत करते हैं, जिनके 8 वीं कक्षा के प्राप्तांक ग्रेडिंग सिस्टम के अंतर्गत दिये गये हैं, तो उनके ग्रेडिंग के संबंध में छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग से ग्रेडिंग सिस्टम से संबंधित जानकारी प्राप्त कर उनके प्राप्तांकों ग्रेड के आधार पर पृथक से प्रावीण्य सूची तैयार की जा सकेगी और उसके आधार पर रिक्त 01 पद के विरुद्ध 10 गुना अभ्यर्थियों को कौशल एवं शारीरिक परीक्षा / साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
- सर्वप्रथम अनंतिम चयन सूची/प्रतीक्षा सूची (Provisional List) तैयार की जावेगी। सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय, बिलासपुर की वेबसाइट में एवं कार्यालय के सूचना पटल पर किया जावेगा। चयनित उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों के संबंध में यदि किसी को दावा/ आपत्ति हो तो चयन सूची के प्रकाशन के 02 दिवस के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेंगे। उक्त समयावधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त न होने की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं है।
- चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ.ग.) को होगा।
- चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मूलप्रति के अभाव में उनका चयन निरस्त कर दिया जावेगा।
- चयनित उम्मीदवारों को इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं है तथा पूर्व में उसे किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं किया गया है। जिला चिकित्सालय बिलासपुर के चिकित्सा बोर्ड के स्वास्थ्य (फिटनेस) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा। आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, छ.ग. रायपुर से कराये जाने पर विपरीत प्राप्त होने पर सेवा से पृथक किया जा सकेगा। कार्यालय द्वारा चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति उपरांत उसका पुलिस वेरीफिकेशन भी कराया जावेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- भर्ती कार्यवाही आरक्षण एवं रोस्टर के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगा।
- चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति सिविल जिला बिलासपुर के अंतर्गत किसी भी न्यायालय अथवा अनुभाग में की जा सकेगी तथा नियुक्ति स्थल पर निवास करना आवश्यक होगा।
- यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।

(2) नियुक्ति हेतु चयन विधि :-

1. वाहन चालक के पद हेतु :-

- वाहन चालक के पद पर चयन हेतु 50 अंकों की कौशल एवं शारीरिक परीक्षा / साक्षात्कार आयोजित की जायेगी, जिसमें अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता एवं कार्य के कुशलता इत्यादि बिन्दुओं पर परखा जायेगा।
- कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी। प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। जन्मतिथि भी समान होने पर आठवीं परीक्षा में अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी। यदि आठवीं में भी समान अंक हो जाते हैं तो, ऐसी स्थिति में चयन समिति अन्य आधारों पर विचार कर निर्णय हेतु स्वतंत्र होगी। वाहन चालक के पद हेतु जिसके पास वाहन मेकेनिक से संबंधित आईटीआई का प्रमाण पत्र होगा, उसे चयन हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।

अन्य आवश्यक सूचनाएं :-

- अभ्यर्थी आकस्मिक निधि के (क्लेक्टर दर पर वेतन पाने वाले कर्मचारी) वाहन चालक के पद के लिए पृथक आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- किसी भी अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता (T.A./D.A.) नहीं दिया जाएगा।
- जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया / कौशल परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेगा, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी।
- कौशल परीक्षा से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 06 माह के पश्चात् विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे। उक्त अवधि के पश्चात् सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत

चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि/निरीक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा।

चयन प्रक्रिया के संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

सभापति
चयन समिति
आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले)
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, वाहन चालक
के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु

प्रति.

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बिलासपुर (छ.ग.)

अभ्यर्थी
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज की फोटो
यहां चस्पा करें।

- आवेदित पद का नाम :-----
- आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :-----
(अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में) :-----
- लिंग-पुरुष/महिला :-----
- पिता/पति का नाम :-----
- (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :-----
:-----
(ब) स्थाई पता :-----
:-----
:-----
- (अ) जन्म तिथि (अंकों में) :-----
शब्दों में :-----
(ब) दिनांक 01/01/2024 को आयु -----वर्ष-----माह-----दिन
- आवेदक का मोबाईल नंबर :-----
- क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है? हाँ/नहीं :-----
(यदि हाँ, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिये घोषित अनुसूचित जाति का सदस्य है ? हाँ/नहीं :-----
(यदि हाँ, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
- क्या आवेदक दिव्यांग है? हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो दिव्यांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें):-----
- दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत :-----
- क्या आप विवाहित है? हाँ/नहीं :-----
- रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन :-----
कमांक एवं दिनांक :
- शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पुराना जिला चिकित्सालय भवन जिला राजनांदगाँव (छ.ग.)

Email-cmho-rjn.cg@gov.in, Ph. 07744-224084

क्रमांक /स्था./ सीधी भर्ती / 2024 / 5392.

राजनांदगाँव दिनांक 3.10.2014

॥ सूचना ॥

जिला स्तरीय रिक्त नियमित पदों भर्ती के संबंध में नियुक्ति आदेश की प्रति प्रकाशन विषयक जिला स्तरीय रिक्त पदों ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला एवं फार्मासिस्ट ग्रेड-2, के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से पूर्ति करने हेतु आनलाईन माध्यम से आमंत्रित आवेदन पत्रों के आधार पर विभागीय चयन समिति की अनुशंसा, अनुमोदन तथा निर्देश के परिपालन में ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला एवं फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के पदों हेतु चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट (www.cghealth.nic.in) के माध्यम से किया जाना जा रहा है।

अतः सर्व चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति आदेश की प्रति राज्य स्तर के विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in से डाउनलोड कर 10 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से दें।

आर.ओ.158/जी-242502936.6

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला राजनांदगाँव (छ.ग.)

संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, ब्लॉक-4, प्रथम तल, नवा रायपुर अटल नगर जिला-रायपुर पिन-492002

Phone: 0771-2510115, E-mail id:dettrgcg@rediffmail.com,
meenaganvir1@gmail.com

//सूचना//

छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास विभाग के अंतर्गत संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण के अधीन नवीन आई.टी.आई. ओरछा, जिला-नारायणपुर में सत्र 2024-25 के लिए एस.सी.बी.टी. अंतर्गत व्यवसाय-कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट एवं मेसन में पुनः रजिस्ट्रेशन हेतु दिनांक 10.10.2024 से 20.10.2024 तक के लिये पोर्टल खोला जा रहा है। रजिस्ट्रेशन उपरांत पूर्व के आवेदक एवं नये आवेदकों को शामिल करते हुए 02 प्रावीण्य सूची के आधार पर चयन सूची जारी की जावेगी तत्पश्चात् चिप्स द्वारा जारी मेरिट सूची के आधार पर संस्था स्तर पर (स्पाट राउंड) प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी। प्रवेश हेतु समय सारिणी विभागीय वेबसाईट cgiti.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है।

संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण
छत्तीसगढ़

आर.ओ.157/जी-242503091.4

- क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है? हाँ नहीं (यदि हाँ, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें) :-----
- अनुभव यदि कोई हो (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :-----
- क्या आप निर्धारित आयु सीमा में छूट चाहते हैं? हाँ/नहीं:-----
- स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची-
1.-----2.-----3.-----4.-----
5.-----6.-----7.-----6.-----

घोषणा पत्र :-

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि मिथ्या पाये जाते हैं तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति/चयन निरस्त किये जाने योग्य होगा।

स्थान-----

दिनांक-----

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम एवं पूरा पता

मोबाईल नंबर

ई-मेल नं.

(मोबाईल नंबर एवं ई-मेल अनिवार्य रूप से भरे)

आर.ओ.156/जी-242502938.4

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तर बस्तर कांकेर (छ०ग०)

क्रमांक 2084/तीन-3-2/2024

कांकेर, दिनांक 03.10.2024

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 04.11.2024 संध्या 05:00 बजे तक स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर न्यायालयीन समय में न्यायालय में रखे बॉक्स पर डालकर आवेदक कर सकता है।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तर बस्तर कांकेर के अंतर्गत वाहन बालक के पद पर सीधी भर्ती हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

रिक्त पद का विवरण एवं आरक्षण निम्नानुसार है-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पद												अनारक्षित पद			
			अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				सामान्य			
			मुक्त	म.	दि.	भू.पू.सै.	मुक्त	म.	दि.	भू.पू.सै.	मुक्त	म.	दि.	भू.पू.सै.	मुक्त	म.	दि.	भू.पू.सै.
1	वाहन चालक	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग:-		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

नोट:-

- पदों एवं आरक्षित पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है।
- भर्ती कार्यवाही आरक्षण एवं रोस्टर के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के SLP (C) 19668/2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा।
- विज्ञापन में कोई भी Corrigendum जारी करना व चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना इत्यादि विभाग प्रमुख के अनुमोदन पश्चात अंतिम व बंधनकारी होगा एवं इस संबंध में किसी भी पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जायेगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला व भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद का लाभ केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को ही प्राप्त होगा। मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के परीक्षार्थियों से प्राप्त आवेदन पत्र, अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत विचारित किये जायेंगे।

क्र.	पदनाम	वेतनमान	शैक्षणिक योग्यता
1	वाहन चालक	छ०ग० वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 वेतनमान 19500-62000 लेवल-4	1. किसी भी राज्य शासन के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. परिवहन/कॉमर्शियल वाहन चालक की वैध अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) धारण करता हो तथा सभी प्रकार के वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। वाहन मैकेनिकों को प्राथमिकता दी जावेगी। 3. स्वस्थ होना चाहिए। 4. यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी (बोली)/स्थानीय भाषा (बोली) का ज्ञान होना चाहिए।

सीधी भर्ती हेतु पात्रता एवं आयु में छूट:-

चयन हेतु पात्र होने के लिए किसी अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करना होगा, अर्थात्,

- वह भारत का नागरिक हो,
- उसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है परन्तु शासन द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु पूर्ण नहीं की है। परन्तु 30 वर्ष से अधिक न हो। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला वर्ग को राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी:-
अ. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 05 वर्ष,
ब. महिला वर्ग हेतु 10 वर्ष,
स. भूतपूर्व सैनिक इत्यादि वर्गों के सदस्यों हेतु उच्चतर आयु सीमा शासन द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शिथिलनीय होगी।
- सरकारी नीतियों के अनुसार परिवर्तन के अध्याधीन शासन द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी जो छत्तीसगढ़ शासन अथवा छत्तीसगढ़ शासन के स्वामित्व के मण्डल व निगम के स्थायी अथवा अस्थायी कर्मचारी है अथवा रह चुके हैं,

परंतु यह कि किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा सभी वर्गों से भी शिथिलताओं को सम्मिलित करते हुए भी 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, अधिकतम आयु सीमा या विशेष वर्ग में छूट चाहने के प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अनारक्षित वर्ग के विरुद्ध विचारित किया जायेगा।

अन्य शर्तें:-

- अभ्यर्थी को रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। (कार्यरत शासकीय सेवकों के लिए लागू नहीं है।) पंजीयन प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
- आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अनारक्षित वर्ग के विरुद्ध विचारित किया जावेगा। साथ ही उन्हें उक्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति को स्वप्रमाणित करना होगा।
- विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जाएंगे। प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र निरस्त किये जा सकते हैं।
- जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया/प्रतियोगी परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेगा उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जावेगी।
- जो अभ्यर्थी शासकीय सेवा/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी / कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए कक्षा 5वीं / 8वीं के प्रमाण पत्र अथवा सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। चयन प्रक्रिया के संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तर बस्तर कांकेर का निर्णय अंतिम होगा।
- सेवा में नियुक्ति हेतु निरहर्ता:-
(1) कोई व्यक्ति जिसकी/जिसका एक से अधिक पत्नी/पति जीवित हो वह सेवा में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।
(2) अभ्यर्थी की ओर से उसकी अभ्यर्थियां हेतु किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को परीक्षा समिति द्वारा उसकी भर्ती हेतु निरहर्ता मानी जाएगी।
(3) कोई व्यक्ति नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा यदि:-
(अ) वह किसी विधि विरुद्ध निकाय अथवा संगठन से जुड़ा हुआ है अथवा उसका सदस्य है या रह चुका है।

अथवा

(ब) ऐसी किसी गतिविधि अथवा कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हो या उनसे जुड़ा हुआ है-

- जिसका उद्देश्य भारत के संविधान का विनाश हो,
- जिसका उद्देश्य हिंसा करते हुए विधि का संगठित उल्लेख अथवा निधि का विरोध करना हो,
- जो भारत की संप्रभुता तथा अखण्डता के हितों तथा राज्य की सुरक्षा के विपरित हो,

अथवा

- नागरिकों के विभिन्न वर्गों में धर्म, प्रजाति, भाषा, जाति अथवा समुदाय

क्रमशः

के आधार पर वैमनस्यता अथवा घृणा को बढ़ावा देता हो।

अथवा

(ग) जिसे किसी भी शासकीय सेवा में भविष्य में नियोजन हेतु अयोग्य मानते हुए भारत सरकार अथवा किसी राज्य शासन अथवा उच्च न्यायालय के अंतर्गत सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है।

अथवा

(घ) जिसे संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग अथवा किसी उच्च न्यायालय द्वारा उसके द्वारा आयोजित किसी परीक्षा अथवा चयन में सम्मिलित होने से विवर्जित अथवा निरहित किया गया हो,

अथवा

(ङ) जो नैतिक अधमता समाहित किसी अपराध में दोषसिद्ध ठहराया जा चुका हो।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

- (1) (A) प्रारूप अनुसार आवेदन पत्र जो कि जिला न्यायालय, उत्तर बस्तर कांकेर के वेबसाइट <https://kanker.dcourts.gov.in/> पर उपलब्ध है जहां से आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। टंकित एवं पूर्णतः भरे हुए हस्ताक्षरित आवेदन पत्र शैक्षणिक तथा जन्मतिथि के प्रमाण से संबंधित स्वप्रमाणित दस्तावेज एवं अनुभव प्रमाण पत्रों सहित बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद वाहन चालक लिखा हो तथा लिफाफे के बांयी (Left) ओर विज्ञापन क्रमांक तथा दिनांक का एवं वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर (छ०ग०), पिन-494334 को संबोधित हो।
- (B) आवेदन पत्र दिनांक 04.11.2024 की संध्या 05.00 बजे तक पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर न्यायालयीन समय में न्यायालय में रखे बॉक्स पर डालकर आवेदन कर सकता है। दिनांक 04.11. 2024 की संध्या 05.00 बजे के उपरान्त से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- (2) आवेदन पत्र में चस्पा फोटो स्वप्रमाणित होना चाहिए।
- (3) आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखे हुए दो लिफाफे प्रत्येक पर 5/- की डाक टिकट चस्पा करते हुए आवश्यक रूप से संलग्न करें तथा दो पासपोर्ट साईज फोटो पृथक से भेजे।
- (4) बिना फोटो एवं बिना हस्ताक्षर आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा, साथ ही निर्धारित प्रमाण पत्र, निवास / जाति प्रमाण पत्र, अधिकतम आयु या विशेष वर्ग में छूट चाहने बाबत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करेंगे।
- (5) अभ्यर्थी के पहचान के रूप में आधार कार्ड/वोटर आईडी / ड्रायविंग लायसेंस/पेन कार्ड में से कोई एक की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- (6) अभ्यर्थी को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण भरें। आवेदन पत्र में त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- (7) लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा / साक्षात्कार के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होना होगा। जिसके लिये इस कार्यालय से कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

नियुक्ति हेतु चयन विधि:-

प्रथम चरण: लिखित परीक्षा

आवेदकों की संख्या अधिक होने पर नियोक्ता के विवेकाधीन एक लिखित स्वतंत्र प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसके सभी 25 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का दो-दो अंक होगा।

उक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य ज्ञान एवं वाहन के विषयों के अंतर्गत होंगे, उक्त परीक्षा की अवधि केवल 45 मिनट की होगी। उक्त लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के मेरिट के आधार पर एक पद पर 10 के अनुपात में आवेदकों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण कौशल परीक्षा / साक्षात्कार हेतु बुलाया जा सकेगा। प्रथम चरण/लिखित परीक्षा के प्राप्तांक द्वितीय चरण के कौशल परीक्षा / साक्षात्कार के प्राप्तांक में जोड़ा नहीं जायेगा।

द्वितीय चरण: कौशल परीक्षा / साक्षात्कार

वाहन परिचालन के परीक्षण हेतु 50 अंकों का कौशल/प्रायोगिक/दक्षता परीक्षा/ साक्षात्कार आयोजित किया जावेगा। कौशल/प्रायोगिक/परीक्षा/साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची एवं प्रतिक्षा सूची तैयार की जावेगी। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

1. समान अंक प्राप्त होने पर अभ्यर्थी के जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जायेगी एवं जिस जन्मतिथि पहले होगी उन्हें वरीयता प्रदान की जावेगी।
2. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार श्रीमान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर को होगा।
3. कौशल परीक्षा / साक्षात्कार के समय समस्त मूल प्रमाण पत्रों को लेकर आना अनिवार्य होगा। मूल प्रमाण पत्र जांच उपरांत ही कौशल परीक्षा / साक्षात्कार में बैठने दिया जावेगा।
4. चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. प्रशासनिक एवं अन्य अपरिहार्य कारणों से यह विज्ञापन परीक्षा के किसी भी स्तर पर बिना पूर्व सूचना दिये कभी भी निरस्त/ स्थगित किया जा सकेगा।
6. अभ्यर्थी जिला न्यायालय उत्तर बस्तर कांकेर के वेबसाइट <https://kanker.dcourts.gov.in/> से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा हेतु उपस्थित हो सकेंगे। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी के छायाप्रति कॉलम में वर्तमान रंगीन फोटो चस्पा एवं स्व हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही पहचान संबंधी दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड/वोटर आईडी / ड्रायविंग लायसेंस/ पेन कार्ड में से कोई एक की मूल प्रति के साथ उपस्थित होवे, अन्यथा की दशा में कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने हकी स्थिति कौशल परीक्षा एक से अधिक दिनों में ली जा सकेगी।
7. प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण उपरांत पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन कार्यालय के वेबसाइट <https://kanker.dcourts.gov.in/> पर अपलोड किया जावेगा तथा कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित किया जावेगा। उक्त प्रकाशन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस के भीतर स्वतः उपस्थित होकर लिखित आपत्ति चयन समिति के समक्ष पेश कर सकेंगे। अंतिम पात्र सूची आपत्ति के निराकरण पश्चात् कार्यालय के वेबसाइट <https://kanker.dcourts.gov.in/> पर प्रकाशित/अपलोड की जायेगी। (अभ्यर्थियों को उक्त वेबसाइट का सतत अवलोकन करते रहने की सलाह दी जाती है।)
8. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं।
9. नियुक्ति के पश्चात् कोई सारवान जानकारी छुपाये जाने पर सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
10. वाहन चालक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जायेगा।
11. चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने की दशा में चयनित अभ्यर्थियों को सूचना दिये बिना उसकी सेवा समाप्त किया जाकर दाण्डिक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी।
12. कोई अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा जब तक उसे जिला चिकित्सा बोर्ड/सक्षम चिकित्सालय प्राधिकारी द्वारा पद पर नियुक्ति हेतु चिकित्सकीय तौर पर स्वस्थ प्रमाणित नहीं किया गया हो।

परन्तु यह कि नियुक्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर चिकित्सकीय आरोग्य प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) की प्रस्तुति के अध्यधीन किसी अभ्यर्थी को अंतिम तौर पर नियुक्ति किया जा सकता है। चिकित्सा बोर्ड द्वारा सेवा हेतु अनुपयुक्त पाये जाने पर अभ्यर्थी की सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

स्थान: उत्तर बस्तर कांकेर

दिनांक:-----

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या० प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

उत्तर बस्तर कांकेर (छ०ग०)

आवेदन-पत्र का प्रारूप

(वाहन चालक के पद पर नियुक्ति हेतु)

प्रति,

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

उत्तर बस्तर कांकेर (छ०ग०)

1. आवेदित पद का नाम :-----
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :-----
(अंग्रेजी के केपिटल लेटर्स में) :-----

क्रमशः

नवीनतम
पासपोर्ट आकार का
फोटो चस्पा कर स्व
प्रमाणित करें।

3. लिंग (संकेतांक) पुरुष-1, महिला-2, अन्य-3
4. पिता/पति का नाम :-----
5. (अ) पत्र व्यवहार का पता (हिन्दी में) :-----
स्थायी पता (यदि पत्र व्यवहार का पता एवं स्थायी पता एक ही है तो तदैव लिखें) :-----
:-----
:-----
6. (अ) जन्म तिथि (अंकों में) :-----
शब्दों में :-----
(ब) दिनांक 01.01.2024 को आयु वर्ष माह दिन
7. क्या अभ्यर्थी छ०ग० राज्य का मूल निवासी है?
हाँ/नहीं (सगदक्ष अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
8. अ. क्या अभ्यर्थी छ०ग० शासन द्वारा छ०ग०
के लिये घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हीं/ नहीं (यदि हीं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
ब. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें
9. अ. क्या अभ्यर्थी दिव्यांग है? हाँ/नहीं :-----
(यदि हीं, तो दिव्यांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
ब. दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत
10. क्या अभ्यर्थी मूलपूर्व सैनिक है? हाँ / नहीं :-----
(यदि ही तो संक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
11. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक :-----
व दिनांक
12. रोजगार कार्यालय का नाम :-----
13. क्या आप विवाहित हैं? हाँ/ नहीं
14. यदि विवाहित हैं, तो विवाह की तिथि
15. जीवित बच्चों की संख्या
16. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क्र	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक
01					
02					
03					
04					
05					

17. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है? हीं/नहीं
(यदि ही, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
18. स्व-प्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची

घोषणा-पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है एवं आवेदित पद के लिये मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूँ। मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत, असत्य या अपूर्ण पाये जाने पर उक्त पद के लिये मेरी उम्मीदवारी रद्द या निरस्त किये जाने योग्य होगी।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

(पूरा नाम एवं पता)

पता:-----

आर.ओ.161/जी-242502967.4

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

क्रमांक/डी.एम.एफ./ संविदा भर्ती/2024/5522

राजनांदगांव दिनांक 04-10-24

-: वॉक-इन-इंटरव्यू सूचना:-

राजनांदगांव जिले अंतर्गत जिला खनिज संस्थान न्यास मद (District Mineral Fund- DMF) 2024-25 में स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा भर्ती वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से किया जावेगा। इच्छुक योग्यताधारी उम्मीदवारों से आवेदन पत्र "कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजनांदगांव (गुरुद्वारा के सामने) में आमंत्रित किया जाता है।

पदों का विवरण व आवेदन प्रारूप जिले के वेबसाइट www.rajnandgaon.nic.in अथवा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजनांदगांव के सूचना पटल पर अवलोकन कर सकते हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

आर.ओ.159/जी-242503008.4

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

(खण्ड-3, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर)

E-mail-com-labour.cg@gov.in, Phone No. 0771-2443515, Fax-0771-2443516

// शुद्धिपत्र की सूचना //

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा श्रम के क्षेत्र में उत्कृष्ट/उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था को "स्व. रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार वर्ष 2024" हेतु विभिन्न समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के शब्दांश वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 को वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 पढ़ा जावे। जिसके लिए शुद्धिपत्र (corrigendum) प्रकाशित किया जा रहा है।

(सविता मिश्रा)

अपर श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

आर.ओ.160/जी-242502934.5

कार्यालय, अस्पताल अधीक्षक
दाऊ कल्याण सिंह स्नातकोत्तर संस्थान एवं अनुसंधान केन्द्र
डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)

Email dksacademic@gmail.com

(पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर से सम्बद्ध)

संशोधित प्रवेश सूचना सत्र 2024-2025

क्र 4300 एकेडमिक/बी.के. एस./2024

रायपुर दिनांक 26/09/2024

छत्तीसगढ़ शासन एवं प. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.) से मान्यता प्राप्त 2% वर्षीय एम.एस.सी. रीनल साईंस एव डायलिसिस टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम सत्र 2024-2025 एवं 3 % वर्षीय बी.एस.सी. डायलिसिस टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम सत्र 2024-2025 हेतु डी.के. एस, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट एवं रिसर्च सेन्टर रायपुर (छ.ग.) में संचालित एम.एस.सी. रीनल साईंस एवं डायलिसिस टेक्नोलॉजी एवं बी.एस. सी. डायलिसिस टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम सत्र 2024-2025 में प्रवेश के लिए आवेदन करने की तिथि - 01/09/2024 समय 10.30 AM बजे से 30/09/2024 समय 5.30 PM बजे तक थी। अंतिम तिथि 30/09/2024 समय 5.30 PM बजे को संशोधित करते हुए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31/10/2024 समय 5.30 PM बजे तक रखी गयी है। शेष समस्त जानकारी यथावत रहेगी।

अस्पताल अधीक्षक

एवं एकेडमिक इंचार्ज डी.के.एस.

पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट एवं रिसर्च सेन्टर

रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय अधिष्ठाता,

चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम: चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचान्दुर दुर्ग)

ई-मेल: cmmedicalcollege@gmail.com वेबसाइट: www.comgmcdurg.ac.in

क्रमांक/3351/चं.चं.शा.चि.म./स्था.-1/2024

दुर्ग, दिनांक :04/10/2027

चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) हेतु शासन द्वारा स्वीकृत सेटअप अनुसार रिक्त प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के चिकित्सा शिक्षकों (प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, एपिडोमायोलॉजी सहायक प्राध्यापक) के रिक्त पदों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी संविदा भर्ती नियम-2012 (चिकित्सा शिक्षा विभाग हेतु लागू हो), के आधार पर संविदा भर्ती किये जाने हेतु वॉक-इन-इन्टरव्यू माह में सोमवार से शुक्रवार (शासकीय अवकाश को छोड़कर) समय प्रातः 10:00 से दोपहर 01:00 बजे तक आयोजित की जा रही है।

संविदा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के मापदण्ड अनुरूप अर्हता रखते हो, ऐसे पात्र उम्मीदवार अपने समस्त मूल दस्तावेजों (दो सेट छायाप्रति) मय पासपोर्ट साइज फोटो सहित उपस्थित हो सकते हैं।

विभागों के रिक्त पदों की उपलब्धता के अनुसार प्राप्त आवेदनों की जाँच कर वॉक-इन-इन्टरव्यू लिये जायेंगे। उक्त पदों में आरक्षण नियम का पालन शासन के निर्देशानुसार करते हुए संविदा नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी।

Walk-in-Interview - Advertisement

S. N.	Department Name	Professor	Associate Professor	Assistant Professor
		Consolidate pay - 1,90,000	Consolidate pay - 1,55,000	Consolidate pay - 95,000
		Eligibility & Age Limt as per NMC NORMS		
1	Anatomy	1	-	2
2	Emergency Medicine	1	1	3
3	Forensic Medicine	1	1	-
4	ENT	-	1	1
5	Biochemistry	-	-	1
6	Community Medicine	-	2	1
7	Microbiology	1	-	1
8	Paediatrics	1	1	3
9	Dermatology	1	1	-
10	Physiology	-	1	2
11	Anesthesiology	1	2	3
12	Pathology	-	2	2
13	Obst. & Gynecology	-	2	3
14	Radio-diagnosis	1	-	2
15	Radiotherapy	-	-	2
16	Respiratory Medicine	-	1	1
17	Pharmacology	-	1	1
18	General Medicine	-	3	4
19	General Surgery	1	3	3
20	Ophthalmology	-	1	1
21	Orthopedics	-	1	3
22	Psychiatry	1	1	-
23	Community Medicine Epidemiologist Asst.Profe.	-	-	1
Total		10	25	40
Note :-	1. Reservation roster will be followed as per Chhattisgarh Government rules.			
	2. For detailed information regarding the advertisement, please visit the college website : www.ccmgmcdurg.ac.in			

देय संविदा एकमुश्त वेतन का विवरण :-

क्र.	पदनाम	एकमुश्त संविदा वेतन
1	प्राध्यापक	राशि 1,90,000/-रू.
2	सह प्राध्यापक	राशि 1,55,000/-रू.
3	सहायक प्राध्यापक	राशि 95,000/-रू.
4	एपिडोमायोलॉजी सहायक प्राध्यापक	राशि 95,000/-रू.

टीप :-

- छ.ग. शासन द्वारा जारी अद्यतन आरक्षण रोस्टर का पालन किया जावेगा।
- विज्ञापित पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकेगी।
- संविदा भर्ती माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी. (सी) 19668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश / निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
- अभ्यर्थी का साक्षात्कार में समय नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र/कार्यमुक्ति आदेश/त्याग-पत्र की जानकारी जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग का पत्राचार किया गया है, छायाप्रति संलग्न करें।
- वॉक-इन-इन्टरव्यू के आवेदन फॉर्म जमा करने का समय कार्यालयीन अवधि में 12:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। समयावधि समाप्त होने पश्चात् आवेदन फॉर्म जमा नहीं लिया जावेगा।
- संविदा नियुक्ति से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम मान्य होगा।
- महाविद्यालय के सूचना पटल एवं वेबसाइट: www.ccmgmcdurg.ac.in का नियमित अवलोकन, करें।

अधिष्ठाता,

चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा

‘महाविद्यालय, दुर्ग

कार्यालय प्राचार्य

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बलौदाबाजार जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़

ई-मेल:- Itibyt@rediffmail.com Industrial Training Institute

क्रमांक/औ.प्र.सं/ब.बा./ स्थाप./ मे.प्र./2024/1351/

बलौदाबाजार, दिनांक 07/10/2024

नोडल संस्था, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बलौदाबाजार (छ.ग.) के अंतर्गत बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की विभिन्न शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में संचालित व्यवसायों / विषयों के प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण अधिकारियों के स्वीकृत पद के रिक्त पदों (कार्यरत नियमित प्रशिक्षण अधिकारी / संविदा प्रशिक्षण अधिकारी / मेहमान प्रवक्ता को छोड़कर शेष रिक्त पद) के विरुद्ध प्रशिक्षण सत्र 2024-25 हेतु मेहमान प्रवक्ता (गेस्ट लेक्चरर) के लिए आवेदन दिनांक. 18.10.2024 को समय प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक संस्था में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सकरी, बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ०ग०) में जमा करे।

पदों की जानकारी शैक्षणिक / तकनीकी योग्यताएं एवं निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार हैं :-

1. रिक्त पदों की जानकारी (कार्यरत नियमित प्रशिक्षण अधिकारी/संविदा प्रशिक्षण अधिकारी / मेहमान प्रवक्ता को छोड़कर शेष रिक्त पद) :-

क्रमांक	औ.प्र.सं. का नाम	व्यवसाय / विषय का नाम	कुल पदों की संख्या
1	2	3	4
1	औ.प्र.सं. कसडोल	कोपा	01
2	औ.प्र.सं. सिमगा	कोपा	01
		विद्युतकार	01
3	औ.प्र.सं. भाटापारा	वर्कशॉप कैल्कुलेशन एण्ड साईस	01
4	औ.प्र.सं. बालौदाबाजार	फिटर	02
		विद्युतकार	01
		ड्राईव्हर कम मैकेनिक	01
		डीजल मैकेनिक	01

2. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क्र.	व्यवसाय का नाम	शैक्षणिक / तकनीकी अर्हताएं
1	विद्युतकार	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। 2. अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण।
2	वर्कशॉप कैल्कुलेशन एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण। 2. अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/ राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि / पत्रोपाधि उत्तीर्ण।
3	फिटर	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल / प्रोडक्शन एवं मेनूफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण।
4	कोपा	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से कम्प्यूटर साईस इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि / पत्रोपाधि उत्तीर्ण अथवा डीओई (डीओईएसीसी) से एए स्तर का प्रमाण पत्र या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से बीसीए / पीजीडीसीए।

5	ड्राईव्हर कम मैकेनिक/डीजल मैकेनिक	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल / आटोमोबाइल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि / पत्रोपाधि उत्तीर्ण। 3. हल्के मोटरयान (एलएमव्ही) का वैद्य लाइसेंस अनिवार्य है।
---	-----------------------------------	---

टीप:- शाखाओं की समतुल्यता/समकक्षता / प्रासंगिकता (शैक्षणिक अर्हता) का निर्धारण प्रचलित विभागीय भर्ती नियम” छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी भर्ती नियम 15 मई 2019 “ के अनुसार किया जावेगा।

(अ) चयन प्रक्रिया नियम एवं शर्तें :-

- आवेदक आवेदन पत्र को निर्धारित प्रारूप में ही जमा करें। निर्धारित प्रारूप में आवेदन नहीं होने पर निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के प्राप्तान्को के मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी।
- प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिए सी.टी.आई./ए.टी.आई. आवश्यक है उन पदों के लिए एक वर्षीय सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता (आईटीआई/डिप्लोमा/डिग्री) के प्राप्तान्को के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जायेगा। सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी आवेदको के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तान्को के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जावेगी।
- मेहमान प्रवक्ताओं को आवश्यकतानुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जा सकता है।
- मेहमान प्रवक्ता द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा आचरण संतोषजनक नही होने की स्थिति में उसे सुनवाई का अवसर देते हुए स्पष्ट कारण दर्शाते हुए उसे प्रशिक्षण में जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य / संस्था प्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा।
- शासन द्वारा नियमित / स्थानांतरित / संविदा पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उन पदों पर आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं की सेवायें स्वतः समाप्त हो जायेंगी।
- मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा नियमित / स्थानान्तरित / संविदा पर पदस्थापना होने की स्थिति में उस पद के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्थाओं / व्यवसायों / विषय के लिये आमंत्रित किया जाता है, तो किसी एक स्थान पर उपस्थित होने पर उक्त आवेदक का शेष अन्य संस्थाओं/व्यवसायों/ विषय पर चयन स्वयं निरस्त माना जायेगा।
- पृथक-पृथक संस्थाओं / व्यवसायों / विषय के लिये पृथक-पृथक आवेदन जमा करना अनिवार्य है।
- मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रति घंटा रु. 140/- (रुपये एक सौ चालीस) मात्र की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घंटे के मानदेय का प्रावधान है प्रति माह अधिकतम रु. 15000/- (रुपये पन्द्रह हजार रुपये) मात्र मानदेय होगा। जो कि समय-समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा।
- आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- पदों की संख्या आवश्यकतानुसार कमी या बढ़ोतरी अथवा समाप्त की जा सकेगी।
- मेहमान प्रवक्ता के रूप में चयन उपरांत यदि वह निर्धारित की गयी अवधि तक कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है तो उसका चयन निरस्त माना जाकर प्रतीक्षा सूची के सरल क्रमांक-01 को अवसर दिया जायेगा। इसी क्रम से प्रतीक्षा सूची के अन्य आवेदको को अवसर दिया जायेगा।

(ब) चयन प्रक्रिया नियम एवं शर्तें :-

- आवेदन दिनांक 18.10.2024 को समय प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक संस्था में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ०ग०) में जमा करे।
- निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

क्रमशः

- आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदक की न्यूनतम आयु एवं अधिकतम आयु छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार होना चाहिए।
- स्वयं का फोटोग्राफ एवं वांछित प्रमाण पत्रों जैसे दसवीं की अंकसूची अथवा पुराना ग्यारहवीं की अंकसूची, तकनीकी योग्यता, ए.टी.आई.सी.टी.आई की अंकसूची, निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र जिसके आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, की स्व-सत्यापित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
- अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे तथा इस संबंध में आवेदकों को सूचना नहीं दी जाएगी।
- आवेदन पत्र पर एक से अधिक व्यवसाय / विषय अथवा एक से अधिक संस्था का नाम अंकित होने पर आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा।
- यदि किसी आवेदक के विरुद्ध अपराधिक अथवा दाण्डिक प्रकरण हो तो प्रकरण की पूर्ण जानकारी आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। चयन होने के उपरांत उक्त जानकारी मिलने पर तत्काल प्रशिक्षण कार्य से पृथक कर दिया जायेगा।
- ऐसे आवेदक जो केवल राज्य व्यवसायिक परीक्षा उत्तीर्ण है के आवेदन मान्य नहीं किये जायेगे।
- यदि आवेदक के पास किसी व्यवसाय/विषय के पद के लिए एक से अधिक निर्धारित तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र जैसे राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण पत्र/ इंजीनियरिंग में उपाधि/इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि आदि उत्तीर्ण होने की स्थिति में जिस प्रमाण पत्र में सर्वाधिक प्रतिशत अंक होंगे उसी प्रमाण-पत्र के प्राप्तकों के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी।
- चयन सूची संस्था के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावेगी। चयनित आवेदक को दूरभाष द्वारा सूचना के आधार पर आमंत्रण स्वीकारते हुए प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराना होगा। आवेदन पत्र में आवेदक अपना मोबाईल नम्बर सही एवं स्पष्ट भरे। दिए गए मोबाईल नम्बर पर संपर्क ना हो पाने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

जिला नोडल / प्राचार्य,
शास०औद्यो० प्रशि० संस्था बलौदाबाजार
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ०ग०)

मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र

- औद्यो० प्रशि०संस्था का नाम-----
(जहाँ के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे है।)
- व्यवसाय / विषय का नाम-----

प्रति,

नोडल अधिकारी / प्राचार्य,
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बलौदाबाजार
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

- आवेदक का नाम :-----
- पिता/पति का नाम :-----
- माता का नाम :-----
- जन्मतिथि (अंको में):- :-----
(शब्दों में) :-----
- अ) पत्राचार का पता :- :-----
- ब) दूरभाष/मोबाईल नम्बर:- :-----
- स्थायी पता:- :-----
:-----
:-----
:-----
- शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी योग्यता:-

क्र	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड / विवि का नाम	व्यवसाय/विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1							
2							
3							
4							
5							

टीप :-

- योग्यता से संबंधित सभी एवं अन्य प्रमाण पत्र स्वयं द्वारा सत्यापित कर लगाये जावे।
- प्रत्येक व्यवसाय / विषय के लिए पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत किये जावे। 3 छत्तीसगढ़ का मूल निवास होने का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में संलग्न करें।
- यदि अभ्यर्थी का किसी भी अपराधिक प्रकरण में संलिप्तता है तो उसकी जानकारी आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है। इस संबंध में जानकारी आवेदन पत्र में नहीं दिये जाने पर एवं बाद में इसकी जानकारी प्राप्त होने पर प्रशिक्षण कार्य से मुक्त कर दिया जायेगा।
- उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, एवं मैं सहमत हूँ।

हस्ताक्षर-----

आवेदक का नाम

शपथ पत्र

- मैं संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, रायपुर द्वारा सुनिश्चित किया गया एवं समय-समय पर संशोधित / लागू मानदेय प्राप्त करूंगा / करूंगी।
- मेरे द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत की गई जानकारी एवं प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्र सही है। यदि जानकारी अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं तो किये गये समस्त कार्यवाही के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा / रहूंगी।
- मेहमान प्रवक्ता का आमंत्रण आवश्यकतानुसार या अधिकतम 1 प्रशिक्षण सत्र के लिए रहेगा तथा मैं कभी नियमित/संविदा पद हेतु दावा नहीं करूंगा/करूंगी
- शासन द्वारा नियमित/स्थानांतरित / संविदा पदस्थापना किये जाने पर मेरी सेवाएँ (मेहमान प्रवक्ता) स्वतः समाप्त हो जायेंगी।
- मैं संस्था में प्राचार्य/अधीक्षक / संस्था प्रमुख या उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी के निर्देशानुसार कार्य करूंगा/करूंगी। कोई अनुशासनहीनता/गलती मेरे द्वारा की जाने की शिकायत मिलती है तो संबंधित प्राचार्य / अधीक्षक मुझे सुनवाई का मौका देते हुए यदि आवश्यक हुआ तो प्रशिक्षण कार्य से हटा सकेगें।
- मेरा/मेरी एक से अधिक संस्था / व्यवसाय / विषय में चयनित होने की स्थिति में एक ही संस्था / व्यवसाय / विषय में प्रशिक्षण कार्य हेतु उपस्थित हो जाने के उपरांत दूसरे संस्था / व्यवसाय / विषय के लिए चयन स्वयमेव निरस्त हो जायेगा।

संलग्न :-

- 1-----
- 2-----
- 3-----
- 4-----
- 5-----
- 6-----

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम -----

पता:-----

मो. नं-----

आर.ओ.163/जी-242503032.3

कार्यालय अधिष्ठाता

स्व. बिसाहू दास महंत स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा (छ.ग.)

Website-www.sbdmscn.edu.in, E-mail-gmckorba@gmail.com

पत्रांक : एफ-054/ चिकि, महा./संविदा/स्था/2024/8363 कोरबा, दिनांक 01/10/2024

- संविदा भर्ती विज्ञापन:-

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा में संविदा भर्ती नियम-2012 जो चिकित्सा शिक्षा विभाग हेतु लागू हो, के आधार पर भरने हेतु शासन द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये सोमवार से शुकवार प्रत्येक कार्य दिवस प्रातः 11.00 बजे से वॉक-इन-इन्टरव्यू विज्ञापन जारी दिनांक से आयोजित किया जा रहा है। संस्थान के विभिन्न विभागों में चिकित्सा शिक्षकों/ चिकित्सकों के रिक्त पदों पर आरक्षण रोस्टर अनुसार संविदा नियुक्ति हेतु एन.एम.सी. के मापदण्ड की अर्हता रखाते हों, स्व-प्रमाणित दस्तावेजों के साथ महाविद्यालय में कार्यालयीन समय में शासकीय अवकाश को छोड़कर स्वयं के व्यय पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो सकते हैं। साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु विस्तृत जानकारी संस्थान के वेबसाईट <https://sbdmscn.edu.in> एवं नोटिस बोर्ड में देखा - जा सकता है।

अधिष्ठाता

“स्व.बिसाहू दास महंत” स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय

आर.ओ.164/जी-242502975.5

कोरबा (छ.ग.)

कार्यालय, कलेक्टर एवं मिशन संचालक, समग्र शिक्षा जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ०ग०)

पत्र क्रमांक 1153/ आवा० विद्या ०/ कांकेर,

दिनांक 07/10/2024

कार्यालय कलेक्टर एवं मिशन संचालक समग्र शिक्षा जिला उत्तर बस्तर कांकेर के अंतर्गत संचालित जिले के 200 सीटर कन्या आवासीय विद्यालयों में पूर्णकालीक लेखापाल पद (निश्चित मानदेय 25000/-) पर कार्य करने हेतु निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित किया जाता है :-

क्र	विद्यालय	रिक्त	वेतनमान
1	शास० सुभाषचंद्र बोस 200 सीटर कन्या आवासीय विद्यालय छोटे बैठिया विकासखंड कोयलीबेडा जिला उ०ब० कांकेर, (छ०ग०)	1 (अनारक्षित) महिला	25000/- रूपये प्रतिमाह एकमुश्त
2	शास० सुभाषचंद्र बोस 200 सीटर कन्या आवासीय विद्यालय सालहेटोला (सरोना) विकासखंड नरहरपुर जिला उ०ब० कांकेर, (छ०ग०)	1 (अनारक्षित) महिला	
3	शास० सुभाषचंद्र बोस 200 सीटर कन्या आवासीय विद्यालय बेवरती (गोविंदपुर) विकासखंड कांकेर जिला उ०ब० कांकेर, (छ०ग०)	1 (अनारक्षित) महिला	
4	शास० सुभाषचंद्र बोस 200 सीटर कन्या आवासीय विद्यालय दुर्दूकोंदल, विकासखंड दुर्दूकोंदल, जिला उ०ब० कांकेर, (छ०ग०)	1 (अनारक्षित) महिला	

- निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट से कार्यालय, जिला मिशन समन्वयक, समग्र शिक्षा कक्ष क्रमांक 26, जिला पंचायत परिसर कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) के नाम से दिनांक 22/10/2024 को साय. 5.00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन अथवा ई-मेल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से स्वीकार नहीं किये जायेंगे। निर्धारित समय-सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- यह पद कन्या आवासीय विद्यालय होने के कारण महिला हेतु आरक्षित रखा गया है।
- एक पद हेतु एक ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगे, इच्छुक आवेदक यदि एक से अधिक पदों पर आवेदन करना चाहता हो तो स्कूलवार अलग अलग आवेदन करना आवश्यक है।
- कांकेर जिला के निवासीयों को प्राथमिकता दी जावेगी, अभ्यर्थी ना मिलने की स्थिति में अन्य जिले के आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।

शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है:-

क्र	पदनाम	वेतन	निर्धारित आईता	मैरिट हेतु अंक का निर्धारण	अधिकतम अंक
1	लेखापाल	25000/प्रतिमाह एकमुश्त	1. न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक (वाणिज्य विषय में) 2. मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर कौशल में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र। 3. शासकीय/गैर शासकीय लेखा संबंधी कार्य के क्षेत्र में न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव।	हायर सेकेण्डरी में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए स्नातक शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए। शासकीय (समान पद समान वेतन कार्य का अनुभव पर 100 अंको का Weightage देते हुए (प्रत्येक वर्ष हेतु 04 अंक) अधिकतम 20 अंक कम्प्यूटर प्रायोगिक पर 100 अंको का Weightage देते हुए	30 30 20 20

- आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी छूट संबंधी आदेश / निर्देश संविदा नियुक्ति के लिए लागू होंगे। आयु की गणना 01 जनवरी 2024 के आधार पर की जावेगी।
- आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।
- आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा।
- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई निश्चित मानदेय पर होगी, नियुक्ति अधिकतम 01 वर्ष के लिए होगी। तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर अथवा शासन के निर्देशानुसार दोनो पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष के लिए निरन्तर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
- नियुक्त कर्मचारी छत्तीसगढ़ सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
- नियुक्ति अवधि के दौरान दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना सेवा समाप्त की जा सकेगी।
- सेवा समाप्ति पश्चात् कार्यरत कर्मचारी के रूप दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन,

उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

- जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को विद्यालयवार मैरिट आधार पर सूचीनद्ध किया जायेगा 01 पद के विरुद्ध अधिकतम 05 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा। तद्युपरांत कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार किया जायेगा।
- सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जायेगा। 05 आवेदक को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा एवं भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा।
- शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा। साथ ही अनुभव हेतु प्रमाणित पे स्लीप / बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा एवं कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
- लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा।
- नियुक्ति के संबंध अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
- आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप कार्यालय प्रारूप जिला कांकेर के वेबसाइट www.kanker.gov.in पर देखा जा सकता है तथा डाउनलोड किया जा सकता है एवं जानकारी कार्यालय कलेक्टर एवं मिशन संचालक समग्र शिक्षा कांकेर एवं जिला पंचायत, जिला शिक्षा अधिकारी के सूचना पटल पर भी अवलोकन किया जा सकता है।
- प्रारंभिक सूची के प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति में किसी भी प्रकार के शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र संलग्न किए जाने पर मान्य नहीं किया जावेगा। मूल आवेदन में संलग्न किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर ही अंक प्रदान किये जायेंगे।
- दावा आपत्ति में केवल लिपीकीय त्रुटि का ही सुधार किया जावेगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किए जायेगा।

कलेक्टर एवं मिशन संचालक
समग्र शिक्षा
उत्तर बस्तर कांकेर, छ.ग.

200 सीटर आवासीय कन्या आवासीय विद्यालय की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छ०ग०

लेखापाल पद हेतु आवेदित पद एवं विद्यालय का नाम-----

प्रति,

जिला मिशन समन्वयक
समग्र शिक्षा, कक्ष क्रमांक-26 जिला पंचायत परिसर कांकेर
जिला पंचायत, जिला कांकेर (छ.ग.)

अभ्यर्थी
स्व-प्रमाणित
फोटो चरमा करें।

- आवेदक का नाम (अ) हिन्दी में :-----
(ब) अंग्रेजी में :-----
पिता/पति का नाम :-----
- लिंग (महिला) :-----
- जन्म तिथि (अ) अंकों में :-----
(ब) शब्दों में :-----
(स) दिनांक 01.01.2024 आयु वर्ष---माह---दिन----
- वर्ग (सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./अपिव) :-----
- पत्र व्यवहार का वर्तमान पता (हिन्दी में) :-----
:-----
:-----
- स्थायी पता (हिन्दी में) :-----
:-----
:-----
- मोबाईल नंबर :-----
- ई-मेल आई.डी. रोजगार कार्यालय का जिवित पंजीयन :-----
- आधार नम्बर :-----

(शेष पृष्ठ 15 पर)

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् विकास भवन, तृतीय तल, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत लोकपाल द्वारा पारित 'अवार्ड' के विरुद्ध अपील हेतु राज्य स्तर पर गठित "त्रि-सदस्यीय लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण" में अकादमिक (Academics/Teaching) क्षेत्र एवं सिविल सोसायटी संगठन (Civil Society Organization) क्षेत्र के अनुभव के आधार पर 01-01 (कुल-02) सदस्यों की नियुक्ति हेतु राज्य स्तर पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

> कुल रिक्त पदों की संख्या: 02

> पद का प्रकार/अनुभव का क्षेत्र :-

- लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण में "अकादमिक (Academics/Teaching) क्षेत्र से 01 सदस्य" की नियुक्ति की जानी है। नियुक्ति हेतु अकादमिक (Academics/Teaching) क्षेत्र में कार्य करने का न्यूनतम 30 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।
- लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण में "सिविल सोसायटी संगठन (Civil Society Organization) क्षेत्र से 01 सदस्य" की नियुक्ति की जानी है। नियुक्ति हेतु सिविल सोसायटी संगठन (Civil Society Organization) क्षेत्र में कार्य करने का न्यूनतम 30 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।

> अर्हताएँ :-

- आवेदन के समय आवेदक की उम्र 66 वर्ष से कम हो।
- अकादमिक (Academics/Teaching) क्षेत्र एवं सिविल सोसायटी संगठन (Civil Society Organization) क्षेत्र के सदस्य पद हेतु संबंधित क्षेत्रों में न्यूनतम 30 वर्षों तक कार्य करने का अनुभव हो।
- आवेदक अपने अनुभव के क्षेत्र में प्रख्यात एवं सत्यनिष्ठ तथा निरापराध हो।
- आवेदक किसी राजनैतिक दल अथवा वर्तमान में प्रतिबंधित किसी संगठन / संस्था / समिति का सदस्य न हो तथा आवेदक के ऊपर कोई अपराधिक प्रकरण न चल रहा हो।
- आवेदक शारीरिक रूप से सक्रिय एवं राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण हेतु सक्षम हो।
- जिस क्षेत्र के सदस्य पद हेतु आवेदन किया जावे, उसी क्षेत्र में आवेदक का अनुभव 30 वर्ष होना चाहिये। एक से अधिक क्षेत्रों के अनुभव को मिलाकर 30 वर्ष का अनुभव मान्य नहीं किया जावेगा।

> अनर्हताएँ:-

- अकादमिक (Academics/Teaching) क्षेत्र एवं सिविल सोसायटी संगठन (Civil Society Organization) क्षेत्र में 30 वर्षों से कम का कार्यानुभव होने पर।
- किसी भी विधि के अंतर्गत दोषी सिद्ध हुआ हो।
- किसी अन्य ऐसे व्यवसाय/आजीविका से जुड़ा/जुडी हो, जिससे आवेदित पद के कार्यों के लिए आवश्यक समय व ध्यान न दे सके।
- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एवं भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय/विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली, के परिपत्र क्रमांक-M- 11015/112022-RE-III (380157), दिनांक 20 मार्च, 2023 द्वारा जारी Revised guidelines on Ombudspersons and Appellate authority-reg में उल्लेखित निर्धारित पात्रता एवं अनुभव शर्तों को पूरा नहीं करता/करती हो।
- लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण में सदस्य के रूप में एक बार कार्य कर चुके / चुकी आवेदक पुनः नियुक्ति हेतु अपात्र होंगे।
- वह ऐसे अपराध का दोषी पाया गया, जो नैतिक अधमता (पतन) से जुड़ा हो।
- किसी राजनैतिक दल अथवा प्रतिबंधित संगठन / संस्था / समिति का सदस्य हो।
- शारीरिक एवं मानसिक रूप से असक्षम हो।

> नियम एवं शर्तें तथा अन्य आवश्यक जानकारी -

- महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत लोकपाल के रूप में जिन्होंने कम से कम 01-वर्ष सेवा दी हो, उन्हें नियुक्ति में प्राथमिकता दी जावेगी।
- राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा पात्र आवेदकों को संबंधित क्षेत्र में अनुभव के वर्षों, सामाजिक क्षेत्र से जुड़ाव एवं लोकपाल पद पर किये गये कार्यों से संबंधित अनुभव के वर्षों के आधार पर अंक प्रदाय किया जावेगा।
- प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों के पैनल का निर्माण राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जावेगा।
- छत्तीसगढ़ राज्य में महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत लोकपाल द्वारा पारित "अवार्ड" से व्यथित पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु "त्रि-सदस्यीय लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण" का गठन किया गया है। प्राधिकरण के सदस्यों का कार्य निःस्वार्थ जनसेवा की प्रकृति का है।
- आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में ही जानकारी देनी होगी। आवेदन के साथ सलग्न समस्त दस्तावेज, आवेदक द्वारा स्व-प्रमाणित (Self Attested) होना चाहिये।
- आवेदक को अपना कार्यानुभव, आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के माध्यम से प्रमाणित करना होगा।

- आवेदन पत्र में दी गई जानकारी से संबंधित समस्त प्रमाण-पत्रों को आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- अपीलीय प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति प्रथम बार 02-वर्ष अथवा 68 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो की समयावधि के लिये की जावेगी। कार्यप्रदर्शन एवं कार्य के मूल्यांकन के आधार पर उनकी सेवा अवधि एकबार में 01-वर्ष के लिये, अधिकतम 02-बार तक अथवा 68 वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जा सकेगा। किसी भी सदस्य को सेवावृद्धि दिये जाने अथवा नहीं दिये जाने का अधिकार विभाग/ शासन को होगा। किसी भी अभ्यर्थी को पुनर्नियुक्ति नहीं दी जावेगी।
- प्राधिकरण के सदस्यों को फीस के रूप में देय पारिश्रमिक भुगतान प्रतिमाह अधिकतम सीमा रुपये 50000.00 (पचास हजार रुपये मात्र) के अध्यक्षीन प्रति बैठक (Per Sitting) रुपये 2500.00 (दो हजार पाँच सौ रुपये मात्र) की दर से देय होगा। अन्य किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
- महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत लोकपाल द्वारा पारित 'अवार्ड' से व्यथित पक्ष को अपील का अवसर प्रदान करना।
- प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अपील का निपटारा 02 माह के भीतर करना।

> अंतिम तिथि :-

- आवेदन दिनांक- 14/11/24 की संध्या 5:00 बजे तक सिर्फ स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे।
- निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- आवेदन पत्र में तथा आवेदन प्रेषित किये जाने वाले लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें कि "त्रि-सदस्यीय लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण अकादमिक (Academics/Teaching) क्षेत्र अथवा सिविल सोसायटी संगठन (Civil Society Organization) क्षेत्र के किस सदस्य हेतु आवेदन" किया जा रहा है।
- आवेदन अपूर्ण एवं सुसंगत दस्तावेज संलग्न न होने पर आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा।

> पता: आवेदन पत्र निम्न पते पर प्रेषित किया जावे :-

प्रति, आयुक्त, महात्मा गाँधी नरेगा, विकास आयुक्त कार्यालय, तृतीय तल, कक्ष क्रमांक 19, विकास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

आयुक्त

महात्मा गाँधी नरेगा

नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

आवेदन पत्र प्रारूप

"महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत गठित त्रि-सदस्यीय लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण के सदस्य पद हेतु आवेदन पत्र"

आवेदित पद का नाम :-----

(सदस्य अकादमिक (Academics/Teaching) क्षेत्र अथवा सिविल सोसायटी संगठन (Civil Society Organization) क्षेत्र, का उल्लेख करें। साथ ही लिफाफे के ऊपर आवेदित क्षेत्र का अनिवार्यतः उल्लेख करें)।

- आवेदक का नाम :-----
- पिता/पति का नाम :-----
- जन्मतिथि (अ) अंको में -----
(ब) शब्दों में -----
- दिनांक 01/10/2024 को आयु:-----वर्ष-----माह-----दिन-----
(आयु की पुष्टि हेतु हाई/ हायर सेकण्डरी स्कूल के अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करें)।
- लिंग (पुरुष/महिला) :-----
- जाति :-----
- वर्ग :-----
(सामान्य / अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग का उल्लेख करें)।
- वर्तमान पता :-----
- स्थायी पता :-
- फोन / मोबाईल नम्बर:-----
- ई-मेल एड्रेस:-----
- शैक्षणिक योग्यता: (कृपया समस्त दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें)।

स्व-हस्ताक्षरित
पासपोर्ट साइज
फोटो चस्पा करें।

क्रमशः

(पिछले पृष्ठ का शेष)

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6

- 13) क्या आप अकादमिक (Academics/Teaching) क्षेत्र अथवा सिविल सोसायटी संगठन (Civil Society Organization) क्षेत्र में न्यूनतम 30 वर्षों तक कार्य करने का अनुभव रखते हैं ? (हाँ/नहीं) :-----
- 14) अकादमिक (Academics/Teaching) क्षेत्र अथवा सिविल सोसायटी संगठन (Civil Society Organization) क्षेत्र में आपका कुल अनुभव कितने वर्ष का है ?-----
- 15) अनुभव का विस्तृत विवरण (निम्नांकित सारणी में वर्षवार क्रमानुसार विवरण दें)।

क्र	पद नाम	संस्था का नाम	सेवाअवधि वर्ष(-----से-----तक)	अनुभव अवधि (वर्ष/माह/दिन)	अनुभव क्षेत्र में उत्कृष्टता	संलग्न दस्तावेजों का नाम
1	2	3	4	5	6	7

- अकादमिक (Academics/Teaching) क्षेत्र अथवा सिविल सोसायटी संगठन (Civil Society Organization) क्षेत्र में न्यूनतम 30 वर्षों का वर्षवार अनुभव संबंधी विवरण एवं तत्संबंध में प्रमाणिक दस्तावेज, उत्कृष्ट कार्य संबंधी क्रियाकलाप या कार्य के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशन, कोई रिपोर्ट, छायाचित्र एवं अन्य ऐसा दस्तावेज, जो अनुभव से संबंधित हो, अनिवार्यतः संलग्न करें।)
- 16) क्या आप पूर्व में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत लोकपाल के पद पर कार्य कर चुके हैं ? (हाँ/नहीं) :-----
- यदि हाँ तो लोकपाल के अनुभव से संबंधित जानकारी निम्नांकित सारणी में दें :-

क्र	जिले का नाम जहाँ पर लोकपाल के पद पर कार्य किये हैं।	प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के जिले	कुल कितने वर्षों तक कार्य किये	कार्यकाल की अवधि (कब से कब तक)	जारी आदेश/क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4	5	6

- (प्रमाण स्वरूप लोकपाल के पद पर नियुक्ति हेतु जारी आदेश की छायाप्रति संलग्न करें)।
- 17) मूल निवास का जिला :-----करें)।
- (निवास प्रमाण पत्र संलग्न
- 18) अ. क्या किसी राजनैतिक दल या किसी प्रतिबंधित संगठन / संस्था / समिति के सदस्य है? क्या आपके ऊपर कोई अपराधिक प्रकरण चल रहा है। (हाँ/नहीं)-----
- (नहीं की स्थिति में इस आशय का 50 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र संलग्न करें)।
- ब. अनुभव के क्षेत्र में प्रख्यात एवं सत्यनिष्ठा तथा निरापराध होने संबंधी शपथ-पत्र में उल्लेख करें।
- 19) क्या आप मानसिक व शारीरिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करने हेतु सक्षम हैं ? (हां/नहीं):-----
- (हाँ की स्थिति में किसी भी शासकीय चिकित्सक से स्वस्थता का प्रमाण पत्र संलग्न करें)।
- 20) अन्य जानकारी, जो आपको सामाजिक रूप से ख्यातिलब्ध (Eminent) बनाती हो। (जानकारी की पुष्टि हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज की प्रति संलग्न करें)।-----
- 13) संलग्न प्रमाणपत्रों एवं दस्तावेजों की सूची:-

घोषणा

आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य एवं सही है। यदि किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी मैंने विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों को पढ़ा है। मुझे यह जानकारी है कि अपीलीय प्राधिकरण के सदस्य का कार्य निःस्वार्थ जनसेवा की प्रकृति का है। इस पद पर मुझे महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित अधिनियम एवं भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत कार्य करना है।

स्थान :-

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर
(पूरा नाम सहित)

(पृष्ठ13 का शेष)

10. शैक्षणिक योग्यता का विवरण

कं.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

11. अनुभव का विवरण:-

क्र.	संस्था का नाम	पदनाम	समयावधि			
			दिनांक से	दिनांक तक	वर्ष	माह
1						
2						
3						
4						

12. वैवाहिक स्थिति
13. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची
1. अनिवार्य अनुभव हेतु सैलरी स्लिप/बैंक स्टेटमेंट।
2. -----3. -----4. -----5. -----

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारीयां पूर्ण एवं सत्य है। चयन होने तथा भविष्य में किसी भी स्तर पर असत्य पाये जाने पर मेरी सेवाएं समाप्त कर मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

दिनांक

स्थान

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसायटी, राष्ट्रीय आयुष मिशन संचालनालय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, ब्लॉक-1, अटल नगर नवा रायपुर छत्तीसगढ़ दूरभाष क्रमांक 0771-14052949 ई-मेल cgnamoffice@gmail.com

क्रमांक/07/02/रा.आ.मि. /2024-25/4368 रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2024

// विज्ञापन सूचना //

राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों / कार्यक्रमों के तहत स्वीकृत कार्यालय राज्य आयुष सोसायटी, संचालनालय आयुष तथा अधिनस्थ संस्था / जिलों में संविदा के आधार पर (एकमुश्त संविदा वेतन) आयुष चिकित्सक (पोस्ट ग्रेजुएट) 10 पद, आयुष चिकित्सक (पोस्ट ग्रेजुएट स्वस्थवृत्) 20 पद, आयुष चिकित्सक (पोस्ट ग्रेजुएट होम्योपैथी) 02 पद, आयुष चिकित्सक (ग्रेजुएट यूनानी) 01 पद, आयुष चिकित्सक (ग्रेजुएट-आयुर्वेद) 120 पद, आयुष चिकित्सक (ग्रेजुएट होम्योपैथी) 23 पद, एवं आयुष चिकित्सक (ग्रेजुएट यूनानी) 08 पद की पूर्ति हेतु कार्यालय राज्य आयुष सोसायटी द्वारा निर्धारित अर्हता अनुरूप, इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

उक्त पद हेतु विज्ञप्ति क्रमांक/07/02/राआमि/2023-24/954 रायपुर, दिनांक 07.03.2024 एवं संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक/07/02/राआमि/2023-24/3265 रायपुर, दिनांक 02.08.2024 द्वारा जारी पदों हेतु पात्र अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। (पूर्व में जारी पात्र अभ्यर्थियों की सूची का अवलोकन करें)

अभ्यर्थी, विज्ञापन संबंधित विस्तृत जानकारी, नियम एवं शर्तों का विवरण तथा आवेदन-पत्र का प्रारूप विभाग की नवीन वेबसाइट <http://ayush.cg.gov.in> एवं वेबसाइट www.cghealth.nic.in से प्राप्त (डाउनलोड) कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 05.11.2024 समय, सांय 5.00 बजे तक अपने सम्पूर्ण दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय, राष्ट्रीय आयुष मिशन संचालनालय आयुष, इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, ब्लॉक 1, अटल नगर नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ के पते पर भेज सकते हैं। आवश्यकता अनुसार पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

सदस्य सचिव

कार्यकारी समिति राज्य आयुष सोसायटी एवं संचालक आयुष (छत्तीसगढ़)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय,
ब्लॉक-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(फोन 0771-2636413 फैक्स 0771-2263412)

Email-highereducation.cg@gmail.com, Website-www.highereducation.cg.gov.in

विज्ञप्ति क्रमांक /726/251/ आउशि/अराज. स्था/2024,

अटल नगर, दिनांक 10/10/2024

-: संशोधित विज्ञापन :-

उच्च शिक्षा संचालनालय के अंतर्गत प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदों हेतु कुल रिक्त 880 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति क्रमांक 770/551/आउशि/अराज. स्था/2023, दिनांक 05.10. 2023 द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। जिसमें निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्रं	पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद				भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से निःशक्त जनों के लिए आरक्षित पद	कुल योग
		अ.नं.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अ.नं.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अ.नं.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	प्रयोगशाला परिचारक	180	51	138	61	54	15	41	18	36	10	27	12	30(OL, HH)	430
2	भृत्य	88	25	67	30	26	7	20	9	17	5	13	6	15-(OA, OL,B,LV, HH)	210
3	चौकीदार परिचारक	88	26	67	29	26	7	20	8	17	5	13	5	-	210
4	स्वीपर	12	4	10	4	3	1	3	1	2	0	2	0	2(OA, OL, LV, HH)	30
	योग	368	106	282	124	109	30	84	36	72	20	55	23	47	880

Abbreviation Used: OL-One Leg. HH-Hearing Handicapped, OA- One Arm, B-Blind, LV-Low Vision,

टीप:- (1) उपरोक्त विज्ञापन में कॉलम क्रमांक 15 में निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पदों की संख्या का उल्लेख निम्नानुसार है:- प्रयोगशाला परिचारक 15-OL, 15-HH, मृत्यु 05 (OA, OL), 05 (B,LV), 05-HH, स्वीपर 01-LV, 01-HH, (2) सरल क. 01 में उल्लेखित निःशक्तजनों के आरक्षित पद अनुसार अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होने जस पद के लिए आरक्षित निःशक्तजन (कॉलम 15) से रिक्त पदों की पूर्ति की जावेगी, (3) विज्ञापन की शेष नियम एवं शर्तें यथावत रहेगी।

आर.ओ.165/जी-242503135.4

जनक प्रसाद पाठक
आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर

कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-डी (भू-तल) अटल नगर, जिला रायपुर (छ०ग०) 2263708, 2262558 Fax - 2262558 Email Id-pmscestobc@gmail.com

क्रमांक/105/रा.यु.उ.यो./2024-25/6995

रायपुर, दिनांक 09/10/2024

वर्ष 2024-25 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु आमंत्रित ऑनलाईन आवेदन पत्र के संबंध में दावापत्ति की सूचना।

कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक/105/रा.यु.उ.यो./2024-25/3324 दिनांक 11.07.2024 के द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। उक्त ऑनलाईन आवेदन के संबंध में अपात्र अभ्यर्थियों से दावापत्ति मंगाया जा रहा है।

ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण उपरांत पाये गये पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की जानकारी विभागीय वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in तथा <https://hmstribal.cg.nic.in> में उपलब्ध कराई गई है। अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन आईडी अथवा अपना नाम एवं जन्म तिथि अंकित कर पात्र/अपात्र की स्थिति देख सकते हैं। अपात्र से संबंधित अभ्यर्थी दावापत्ति e-mail yuvacarriernirman@gmail.com में दिनांक 20.10.2024 तक कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी हेतु विभागीय वेबसाइट का अवलोकन किया जा सकता है।

(संजय गौड़)

प्रभारी आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

आर.ओ.166/जी-242503117.5

रक्षा मंत्रालय (भा.स.)
भारतीय तट रक्षक क्षेत्र (पूर्व)
निकट नेपियर ब्रिज, चेन्नै-600009
दूरभाष : 044-23460426
सिविलियन पदों को भरने के लिए भर्ती

1. पात्र उम्मीदवारों से नीचे निर्देशितानुसार सीधी भर्ती आधार पर भरे जाने वाले निम्नांकित पदों हेतु आवेदनपत्र आमंत्रित किये जाते हैं :

क्र. सं.	पद का नाम	रिक्ति की सं. (*)	पद स्थापन का स्थान (**)	वेतनमान (7वें के.वे.आ. के अनुसार)	संवर्ग	पात्रता मानदंड
(क)	इंजन चालक	01	चेन्नै	स्तर-4 रु. 25500-81100	आदुव-01	शैक्षिक योग्यता :- (क) मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा समकक्ष से मैट्रिक उत्तीर्ण. (ख) मान्यताप्राप्त सरकारी संस्थान अथवा समकक्ष से इंजन चालक के रूप में सक्षमता का प्रमाणपत्र. वांछनीय : लगभग चार सौ बोट अश्वशक्ति के पोत पर सरांग के रूप में दो वर्षों की सेवा.
(ख)	लस्कर	01	मंडापम	स्तर-1 रु. 18000-56900	आदुव-01	शैक्षिक योग्यता :- मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक उत्तीर्ण अथवा इसके समकक्ष. अनुभव : बोट पर सेवा में तीन वर्षों का अनुभव.
(ग)	प्रारूपकार	01	चेन्नै	स्तर-4 रु. 25500-81100	अना-01	शैक्षिक योग्यता :- मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से सिविल अथवा वैद्युत अथवा यांत्रिक अथवा समुद्री अभियांत्रिकी अथवा नौ वास्तुकला एवं पोत निर्माण में डिप्लोमा. एक मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से उपरोक्त किसी विधा में प्रारूपकारिता में प्रमाणपत्र. वांछनीय :- संबंधित क्षेत्र अर्थात सिविल, वैद्युत, अथवा यांत्रिक अथवा समुद्री अभियांत्रिकी अथवा नौ वास्तुकला तथा पोत निर्माण में एक वर्ष का अनुभव, सरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय अथवा प्रतिष्ठित निजी संगठन के अन्तर्गत.
(घ)	फायरमैन/मैक फायरमैन	01	चेन्नै	स्तर-2 रु. 19900-63200	अना-01	शैक्षिक योग्यता :- मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा समकक्ष से मैट्रिक उत्तीर्ण. अन्य योग्यतायें : शारीरिक रूप से उपयुक्त तथा श्रम साध्य कर्तव्यों के निष्पादन में समर्थ होना चाहिए.
(ङ)	सिविलियन मोटर परिवहन चालक (साधारण ग्रेड)	01	चेन्नै	स्तर-2 रु. 19900-63200	अपिव-01	शैक्षिक योग्यता :- (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण तथा भारी और हल्के मोटर वाहनों दोनों के लिए वैध चालन लाइसेंस धारक होना चाहिए. (ii) चालन का 02 वर्षों का अनुभव. (iii) मोटर यांत्रिकता का ज्ञान (वाहन में छोटी-मोटी त्रुटियों को ठीक करने में समर्थ होना चाहिए.)
(च)	बहु कार्य कर्मचारी (माली)	02	चेन्नै	स्तर-1 रु. 18000-56900	अपिव-01 तथा अजा-01	शैक्षिक योग्यता :- मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण. अनुभव : किसी नर्सरी अथवा संगठन में माली के रूप में दो वर्षों का अनुभव.
(छ)	बहु कार्य कर्मचारी (चौकीदार)	01	मंडापम	स्तर-1 रु. 18000-56900	अना-01	शैक्षिक योग्यता :- मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण. अनुभव : किसी मान्यताप्राप्त संस्था अथवा संगठन में चौकीदार के रूप में दो वर्षों का अनुभव.
(ज)	एमटी फिटर	01	चेन्नै	स्तर-2 रु. 19900-63200	अजजा-01	शैक्षिक योग्यता :- (क) मैट्रिक अथवा समकक्ष. (ख) आटोमोबाइल कार्यशाला में दो वर्षों का अनुभव. वांछनीय : सुसंगत ट्रेड में आई.टी.आई. डिप्लोमा.
(झ)	वैद्युत फिटर (कुशल)	01	चेन्नै	स्तर-2 रु. 19900-63200	अपिव-01	(i) 10वीं उत्तीर्ण अथवा समकक्ष. (ii) शिक्षुता अधिनियम, 1961 के अधीन अथवा एक अन्य मान्यताप्राप्त शिक्षुता योजना के अधीन सुसंगत ट्रेड में मान्यताप्राप्त/प्रतिष्ठित कार्यशाला से शिक्षुता. अथवा इस उद्देश्य हेतु मान्यताप्राप्त आईटीआई से सुसंगत ट्रेड में प्रशिक्षण तथा 01 वर्ष का ट्रेड अनुभव धारक हों. अथवा किसी ट्रेड में 04 वर्षों का अनुभव जिसके लिए आईटीआई अथवा अन्य मान्यताप्राप्त संस्थाओं में कोई प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं है. (iii) ट्रेड प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए.
(ञ)	आईसीई फिटर (कुशल)	01	विशाखापट्टनम	स्तर-2 रु. 19900-63200	अना-01	(i) 10वीं उत्तीर्ण अथवा समकक्ष. (ii) शिक्षुता अधिनियम, 1961 के अधीन अथवा एक अन्य मान्यताप्राप्त शिक्षुता योजना के अधीन सुसंगत ट्रेड में मान्यताप्राप्त/प्रतिष्ठित कार्यशाला से शिक्षुता. अथवा इस उद्देश्य हेतु मान्यताप्राप्त आईटीआई से सुसंगत ट्रेड में प्रशिक्षण तथा 01 वर्ष का ट्रेड अनुभव धारक हों. अथवा किसी ट्रेड में 04 वर्षों का अनुभव जिसके लिए आईटीआई अथवा अन्य मान्यताप्राप्त संस्थाओं में कोई प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं है. (iii) ट्रेड प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए.
(ट)	अकुशल श्रमिक	01	चेन्नै	स्तर-1 रु. 18000-56900	अना-01	(i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक उत्तीर्ण अथवा समकक्ष अथवा मान्यताप्राप्त संस्था से आईटीआई. (ii) ट्रेड में तीन वर्षों का अनुभव.

* बढ़ाये अथवा घटाये जाने के अधीन.
* पदस्थापन का प्रारंभिक स्थान उपरोक्तानुसार होगा तथा आगे सेवा दायित्व अखिल भारतीय, अंडमान एवं निकोबार द्वीप-समूह सहित होगा.
2. निम्नांकित पदों के लिए अनुमत्य मानक दिव्यांगताएं निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं.	पद का नाम	शारीरिक दिव्यांगता
(क)	प्रारूपकार	कुष्ठ उपचारित व्यक्ति (एलसी), बौनापन (डीडब्ल्यू), मांसपेशीय डिस्ट्रोफी (एमडीवाई), तेजाब हमले के शिकार (एएवी), बधिर (डी), रक्त विकृति (हेमोफीलिया, थेलेसीमिया, सिकल सेल रोग)
(ख)	बहुत कार्य कर्मचारी (माली)	कुष्ठ उपचारित व्यक्ति (एलसी), बौनापन (डी डब्ल्यू), तेजाब हमले के शिकार (एएवी), श्रृण दृष्टि (एलवी), बधिर (डी), श्रवण बाधा (एच-एच), वाक् तथा भाषा दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता (एस-एलडी), रक्त विकृति (हेमोफीलिया, थेलेसीमिया, सिकल सेल रोग).

3. आयु सीमा : भारतीय तट रक्षक वेबसाइट में उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन में उल्लेखितानुसार.
4. कैसे आवेदन करें : आयु, शैक्षिक योग्यता के विवरण, आवेदनपत्र हेतु प्रारूप तथा जाति प्रमाणपत्र, महत्वपूर्ण अनुदेश इत्यादि भारतीय तट रक्षक वेबसाइट www.indiancoastguard.gov.in में उपलब्ध है. आवेदनपत्र निर्धारित आरूप में स्वयं सत्यापित रंगीन फोटो विधिवत चिपकाकर सभी शैक्षिक, तकनीकी तथा अनुभव प्रमाणपत्रों/अंकपत्रों जाति प्रमाणपत्रों इत्यादि की जीरोक्स प्रतियों द्वारा संलग्न किये जाने चाहिए. विधिवत भरे गये आवेदनपत्र सभी अपेक्षित प्रलेखों के साथ “कमांडर, तट रक्षक क्षेत्र (पूर्व), निकट नेपियर ब्रिज, फोर्ट सेंट जार्ज (पीओ), चेन्नै-600009” के पास केवल साधारण डाक द्वारा में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 25 दिनों के अन्दर प्रेषित किये जाने चाहिए. आवेदनपत्र युक्त लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में टिप्पणी “..... के पद हेतु आवेदनपत्र” तथा आवेदित संवर्ग भी यथा अना/आदुव/अपिव (गैर-क्रीमी लेयर)/अजा/अजजा स्पष्ट रूप से उपरिअंकित किया जाना अनिवार्य है. इन टिप्पणियों के बगैर आवेदनपत्र संक्षेपतः अस्वीकृत कर दिये जाएंगे.

5. पाठ्य विवरण : लिखित परीक्षा का पाठ्य-विवरण शैक्षिक योग्यता तथा सुसंगत ट्रेड के अनुरूप निम्नानुसार है :-

भाग	विषय	प्रश्नों की सं.	अंक	आवर्तित समय
I.	सामान्य ज्ञान	20	20	1 घंटा
II.	गणित	20	20	
III.	सामान्य अंग्रेजी	20	20	
IV.	तकनीकी ट्रेड्समैन काइरों हेतु सुसंगत ट्रेड तथा एमटीएस हेतु मानसिक योग्यता परीक्षा	20	20	

6. चयन प्रणाली :- सभी आवेदनपत्रों की पात्रता मानदंड के अधीन संवीक्षा की जाएगी तथा लघु सूचीकृत उम्मीदवारों को प्रलेख सत्यापन एवं लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए बुलावा पत्र जारी किये जाएंगे. लिखित परीक्षा कलम-कागज आधारित तथा एक घंटे अवधि की होगी. लिखित परीक्षा में अर्हक अंक 50 प्रतिशत है और जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, उन्हें ट्रेड परीक्षा (जहां लागू) के लिए लघु-सूचीकृत किया जायेगा. अजा तथा अजजा उम्मीदवारों के मामले में अर्हक अंक 45 प्रतिशत होगा. अपिव तथा आदुव उम्मीदवारों हेतु अर्हक अंकों में कोई रियायत स्वीकार्य नहीं है. मैरिट सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार मैरिट स्थिति तथा संबंधित-ट्रेड परीक्षाओं (जहां लागू) में योग्यता के आधार पर ही तैयार की जाएगी. मैरिट सूची आवश्यक अनुदेशों के साथ भारतीय तट रक्षक (आईसीजी) वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी.
7. उम्मीदवारों को सलाह है कि उक्त भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण अद्यतनों के लिए आईसीजी वेबसाइट indiancoastguard.gov.in नियमित आधार पर देखें.

आरसीआरओ/सीजीआरएचक्यू (ई)



रतन टाटा का मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया



जाने-माने उद्योगपति और समाजसेवी रतन टाटा का मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। टाटा समूह को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले रतन टाटा का 9 अक्टूबर की रात मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया था। वे 86 वर्ष के थे। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार से रतन टाटा को भारत रत्न देने का अनुरोध करने का प्रस्ताव परित किया है। इस दौरान मंत्रिमंडल ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि भी दी।

शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 5वें चरण के लिए पंजीकरण पोर्टल शुरू किया

शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम के पांचवें चरण के लिए पंजीकरण पोर्टल शुरू किया। युवा संगम विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं का लोगों से संबंध मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है। 18 से 30 वर्ष की आयु के युवा युवा संगम पोर्टल पर पंजीकरण कराकर इसमें शामिल हो सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर है। पांच से सात दिनों के युवा संगम दौरों के दौरान समूहों को पांच व्यापक क्षेत्रों-पर्यटन, परंपरा, प्रगति, परस्पर संपर्क और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत बहुआयामी अनुभव प्रदान किया जाएगा।

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय के छात्रों को पाठ्यक्रम अवधि के दौरान निजी प्रेक्टिस, नौकरी करना प्रतिबंधित

छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय के स्नातकोत्तर छात्र पाठ्यक्रम अवधि के दौरान निजी प्रेक्टिस, सेवा अथवा नौकरी नहीं कर पाएंगे। चिकित्सा शिक्षा रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश नियम एवं विवरणिका 2021 अनुसार इसको प्रतिबंधित किया गया है। इस आदेश के अंतर्गत सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं और प्राचार्य दंत चिकित्सा महाविद्यालय को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि स्नातकोत्तर छात्र-छात्राएं इस नियम का कड़ाई से पालन करें। सभी छात्र-छात्राओं से इस संबंध में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। जो इस बात का आश्वासन देगा कि वे अपनी पाठ्यक्रम अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की अनाधिकृत निजी प्रेक्टिस, सेवा अथवा नौकरी नहीं करेंगे।

179 महतारी सदनों की स्वीकृति विष्णु भैया का एक और उपहार

महिला सशक्तिकरण का नया केंद्र, अगले पांच वर्षों में हर ग्राम पंचायत में बनेगा महतारी सदन



प्रदेश की महिलाओं को एक और सशक्त उपहार देते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 179 महतारी सदनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के माध्यम से राज्य की ग्रामीण महिलाओं को एक ऐसा मंच मिलेगा, जहां वे सामूहिक रूप से सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में भाग ले सकेंगी।

मुख्यमंत्री विष्णु साय ने कहा, हमारी माताओं और बहनों के बिना समाज का विकास अधूरा है। महतारी सदन का निर्माण उनके सामुदायिक विकास और स्वावलंबन को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। यह उनके लिए एक ऐसा स्थान होगा, जहां वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी और रोजगार के नए अवसर तलाश सकेंगी।

52 करोड़ 20 लाख रुपये की परियोजना

इस परियोजना के लिए 52 करोड़ 20 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिसमें प्रत्येक महतारी सदन की लागत 29.20 लाख रुपये होगी। प्रत्येक सदन में कमरा, बरामदा, हाल, किचन, स्टोररूम, सामुदायिक शौचालय और पेयजल के लिए ट्यूबवेल जैसी सुविधाएं होंगी।

हर ग्राम पंचायत में बनेगा महतारी सदन

इस योजना के तहत प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में महतारी सदन का निर्माण किया जाएगा। पहले चरण में प्रदेश के विकासखंडों में महतारी सदनों का निर्माण शुरू हो गया है, और अगले पांच वर्षों में सभी ग्राम पंचायतों में यह कार्य पूरा किया जाएगा।

महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सर्वोपरि

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा, “महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। महतारी सदन इसी दिशा में एक और कदम है, जिससे हमारी बहनें और माताएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी।”

महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर

महतारी सदन न केवल बैठने का स्थान होगा, बल्कि यहां पर महिलाओं को रोजगार और स्व-रोजगार से जुड़े विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। विष्णु देव साय भैया के नेतृत्व में यह पहल प्रदेश की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

भारतीय 3 वैज्ञानिकों को मिला केमिस्ट्री का नोबेल

केमिस्ट्री (रसायन विज्ञान) के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। नोबेल कमेटी ने बताया कि 2024 का नोबेल डेविड बेकर, डेमिस हसबिस और जॉन एम जंपर को देने का फैसला हुआ है। बेकर को कम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन बनाने के लिए और हसबिस और जंपर को प्रोटीन स्ट्रक्चर की भविष्यवाणी के लिए यह सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाएगा। बेकर ने 2003 में एक नया प्रोटीन डिजाइन किया था। इसके बाद उनके रिसर्च ग्रुप ने एक के बाद एक कल्पनाशील प्रोटीन बनाए, जिसमें ऐसे प्रोटीन भी हैं जिनका उपयोग फार्मास्यूटिकल्स, टीके बनाने, नैनोमैटेरियल और छोटे सेंसर के रूप में हो सकता है।

मेडिसिन का नोबेल दो अमेरिकी वैज्ञानिकों को

मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज की घोषणा की गई है। 2024 के मेडिसिन का नोबेल प्राइज विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को मिला है। उन्हें ये प्राइज माइक्रो RNA (राइबोन्यूक्लिक एसिड) की खोज के लिए दिया गया है। माइक्रो RNA से पता चलता है कि शरीर में कोशिकाएं कैसे बनती और काम करती हैं। दोनों जीन वैज्ञानिकों ने 1993 में माइक्रो RNA की खोज की थी। इंसान का जीन DNA और RNA से बना होता है। माइक्रो RNA मूल RNA का हिस्सा होता है। ये पिछले 50 करोड़ सालों से बहुकोशिकीय जीवों के जीनोम में विकसित हुआ है। अब तक इंसानों में अलग-अलग तरह के माइक्रो RNA के एक हजार से ज्यादा जीन की खोज हो चुकी है। फिजिक्स के नोबेल प्राइज 2024 की भी घोषणा हो गई है। इस साल ये प्राइज AI के गॉडफादर कहे जाने वाले जैफ्री ई. हिंटन और अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन जे. होपफील्ड को मिला है। उन्हें मशीन लर्निंग से जुड़ी नई तकनीकों के विकास के लिए ये सम्मान दिया गया है जो आर्टिफिशियल न्यूरोन्स पर आधारित है।

आइफा पुरस्कार : शाहरुख सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, 'एनिमल' सर्वश्रेष्ठ फिल्म

अबू धाबी के यास आइलैंड में आयोजित 'इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवॉर्ड्स 2024' (आइफा) में अभिनेता शाहरुख खान को फिल्म 'जवान' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से नवाजा गया जबकि रणबीर कपूर अभिनेता 'एनिमल' को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। शाहरुख ने अभिनेता विक्की कौशल और फिल्म निर्माता करण जौहर के साथ मिलकर आइफा पुरस्कार समारोह की मेजबानी की। स्टैंडहोम, अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन हॉपफील्ड और ब्रिटिश-कनाडाई जेफ्री हिंटन को मशीन लर्निंग में खोजों और आविष्कारों के लिए मंगलवार को 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में उछाल का मार्ग प्रशस्त किया

एनसीईआरटी की छात्र हित में बड़ी पहल, अब घर बैठे मिलेंगी नई पाठ्यपुस्तकें

छात्रों को जल्द ही एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों के लिए लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब ये किताबें घर बैठे मंगाई जा सकेंगी। एनसीईआरटी ने एमेज़ॉन के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है, जिसके तहत एमेज़ॉन भारत के 20,000 से अधिक पिन कोड पर इन किताबों की डिलीवरी करेगा। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों को समय पर सही पाठ्यपुस्तकें मिल सकें और उनकी पढ़ाई बिना किसी बाधा के चलती रहे।

समय पर मिलेंगी किताबें, खत्म होगी शिकायतें यह समझौता केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान

की उपस्थिति में हुआ। उन्होंने इस कदम को शिक्षा क्षेत्र के लिए एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम बताया। मंत्री प्रधान ने कहा, “एनसीईआरटी अब हर साल 15 करोड़ पाठ्यपुस्तकों की छपाई करेगा। एमेज़ॉन के साथ इस साझेदारी से यह सुनिश्चित होगा कि छात्रों को किताबें समय पर मिलें और वे नकली और महंगी किताबों से बच सकें।” पिछले कुछ वर्षों में छात्रों और अभिभावकों की प्रमुख शिकायत यह रही है कि एनसीईआरटी की किताबें समय पर उपलब्ध नहीं हो पातीं, खासकर देश के ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में। इससे छात्रों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था, और कई बार उन्हें निजी प्रकाशकों

की महंगी किताबें खरीदनी पड़ती थीं। अब इस समझौते से उन समस्याओं का हल मिलेगा।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पहल

यह समझौता भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। एनईपी के तहत छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और समय पर शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें देश के लगभग स्कूल में इस्तेमाल की जाती हैं, और इनकी मांग भी सबसे अधिक होती है। वर्तमान में देश में बिकने वाली 96% पाठ्यपुस्तकें एनसीईआरटी की होती हैं,

जिनका छात्र हर साल इंतजार करते हैं।

कहां से खरीद सकते हैं किताबें?

अब सभी कक्षाओं की एनसीईआरटी की किताबें एमेज़ॉन के एनसीईआरटी स्टोरफ्रंट पर उपलब्ध होंगी। छात्र इन किताबों को प्रिंट रेट पर सीधे अपने घर मंगवा सकेंगे। इसके लिए उन्हें केवल एमेज़ॉन पर (<http://amazon.in/ncert>) जाकर ऑर्डर करना होगा। यह सुविधा विशेष रूप से उन छात्रों के लिए लाभदायक होगी जो सुदूर इलाकों में रहते हैं और जिन्हें किताबों की कमी का सामना करना पड़ता है।

छत्तीसगढ़ में पेयजल क्रांति

39.50 लाख परिवारों तक पहुंचा शुद्ध पेयजल

छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध पेयजल की सुविधा तेजी से हर घर तक पहुंच रही है। 15 अगस्त 2019 को शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 39.50 लाख ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जा चुका है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के 49 लाख से अधिक परिवारों तक नल कनेक्शन पहुंचाना है।

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की कमी और जलजनित बीमारियां एक बड़ी समस्या रही हैं। इसे दूर करने के उद्देश्य से 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी, जिसका लक्ष्य हर ग्रामीण परिवार को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल प्रदान करना है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में यह मिशन बड़ी सफलता के साथ संचालित हो रहा है, और अब तक 39 लाख से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है।

जल जीवन मिशन का उद्देश्य और छत्तीसगढ़ की भागीदारी

जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। छत्तीसगढ़, जो ग्रामीण क्षेत्रों और दूरदराज के इलाकों से भरा है, ने इस योजना को बड़ी कुशलता से लागू किया है। राज्य के जल संसाधनों और जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए एक ठोस कार्ययोजना बनाई गई। इस योजना के तहत राज्य में 50 लाख परिवारों को नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 39.50 लाख से अधिक कनेक्शन अब तक प्रदान किए जा चुके हैं।

महासमुंद जिला बना अग्रणी

महासमुंद जिला जल जीवन मिशन के अंतर्गत सबसे अधिक घरेलू नल कनेक्शन देने में अग्रणी रहा है। यहां अब तक 1.96 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन मिल चुके हैं। रायगढ़ जिला 1.95 लाख कनेक्शन के साथ दूसरे और जांजगीर-चांपा 1.82 लाख के साथ तीसरे स्थान पर है। इस योजना से न केवल ग्रामीण परिवारों की जीवनशैली में सुधार हुआ है, बल्कि जल की कमी से होने वाली समस्याएं भी कम हुई हैं।

शुद्ध पेयजल का महत्व और ग्रामीण स्वास्थ्य पर प्रभाव

शुद्ध पेयजल की उपलब्धता केवल एक बुनियादी आवश्यकता नहीं, बल्कि एक स्वस्थ समाज की नींव है। छत्तीसगढ़ के कई ग्रामीण क्षेत्रों में पहले दूषित पानी के कारण जलजनित बीमारियां, जैसे डायरिया और पीलिया, आम थीं। लेकिन जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध पेयजल की पहुंच ने इन बीमारियों को काफी हद तक कम किया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सुरक्षित और स्वच्छ पानी का उपयोग कर रहे हैं, जिससे उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। मिशन के तहत स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य संस्थानों में भी पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य के 43 हजार 924 स्कूलों और 41 हजार 663 आंगनबाड़ी केंद्रों में अब शुद्ध जल की व्यवस्था की गई है। इससे बच्चों और महिलाओं की स्वच्छता और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

सिंगल और मल्टी विलेज स्कीम का महत्व

छत्तीसगढ़ के भौगोलिक और सामाजिक परिदृश्य को देखते हुए, जल जीवन मिशन के तहत सिंगल विलेज स्कीम और मल्टी विलेज स्कीम जैसी योजनाएं लागू की गई हैं। सिंगल विलेज स्कीम उन गांवों के लिए है, जहां जल स्रोत पास में होते हैं, जबकि मल्टी विलेज स्कीम उन गांवों के लिए है, जहां जल स्रोत दूर होते हैं और कई गांवों को एक साथ जोड़ा जाता है। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से दूरदराज के गांवों तक भी पानी पहुंचाना संभव हो सका है।

अब तक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं

जिला	घरेलू नल कनेक्शन	जिला	घरेलू नल कनेक्शन
महासमुंद	1 लाख 96 हजार 667	दुर्ग	1 लाख 36 हजार 001
रायगढ़	1 लाख 95 हजार 983	सक्ती	1 लाख 32 हजार 005
जांजगीर-चांपा	1 लाख 82 हजार 437	गरियाबंद	1 लाख 30 हजार 025
बिलासपुर	1 लाख 78 हजार 664	सूरगुजा	1 लाख 27 हजार 209
रायपुर	1 लाख 78 हजार 161	सांरगढ़-बिलाईगढ़	1 लाख 17 हजार 360
बलौदाबाजार-भाटापारा	1 लाख 76 हजार 393	सूरजपुर	1 लाख 14 हजार 619
कवर्धा	1 लाख 63 हजार 198	कोंकर	1 लाख 09 हजार 494
धमतरी	1 लाख 52 हजार 233	कोण्डागांव	1 लाख 871
बालोद	1 लाख 49 हजार 510	गौरेला-पेंडा-मरवाही	66 हजार 209
बेमेतरा	1 लाख 48 हजार	खैरागढ़-सुईखदान-गंडई	61 हजार 703
मुंगेली	1 लाख 46 हजार 906	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	60 हजार 117
जशपुर	1 लाख 43 हजार 454	सुकमा	45 हजार 838
बस्तर	1 लाख 41 हजार 925	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	45 हजार 460
कोरबा	1 लाख 41 हजार 623	दंतेवाड़ा	39 हजार 091
बलरामपुर	1 लाख 39 हजार 229	कोरिया	37 हजार 522
राजनांदगांव	1 लाख 38 हजार 788	बीजापुर	31 हजार 969
		नारायणपुर	21 हजार 736



“हमारी सरकार के लिए जल जीवन मिशन केवल एक योजना नहीं, बल्कि हर घर में खुशहाली लाने का एक संकल्प है। शुद्ध पेयजल हर नागरिक का हक है, और इसे हर गांव तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। हम हर व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर शुद्ध पानी देने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। महासमुंद जिले की उपलब्धि इस बात का उदाहरण है कि हम राज्य के हर कोने तक इस सुविधा को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जल जीवन मिशन न केवल स्वास्थ्य, बल्कि महिलाओं, बच्चों और पूरे समाज के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।”

विष्णु देव साय,
मुख्यमंत्री



जल जीवन मिशन का सकारात्मक प्रभाव

जल जीवन मिशन का सबसे बड़ा लाभ महिलाओं और बच्चों को मिला है। पहले ग्रामीण महिलाओं को पानी लाने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, जिससे उनका समय और श्रम दोनों खर्च होते थे। अब घरेलू नल कनेक्शन के कारण उन्हें पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे वे अन्य कार्यों में अपना समय दे पा रही हैं। इसके अलावा, बच्चों को भी साफ पानी मिलने से उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, जिससे स्कूलों में उनकी उपस्थिति बढ़ी है।

जीवन में जन जीवन मिशन से आ रहा बदलाव हर घर में पहुंचा शुद्ध पेयजल

रायपुर जिले के धरसीवा विकासखंड के ग्राम नकटी में जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना से शुद्ध पेयजल की सुविधा मिलनी शुरू हो गई है। सरपंच श्रीमती कुमुद टंडन ने बताया कि पहले कुएं और हैंडपंप से पानी लाना मुश्किल था, लेकिन अब घर-घर में नल से शुद्ध पानी मिल रहा है। गांव की महिलाओं ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार जताते हुए कहा कि यह पहल उनकी जिंदगी को आसान बना रही है। अब पानी की चिंता किए बिना वे अपने काम और दिनचर्या को बेहतर ढंग से निभा पा रही हैं।

वनांचल क्षेत्र में मिल रही स्वच्छ पेयजल

गरियाबंद जिले के वनांचल क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन मिलने से मानबाई यादव और उनके परिवार का जीवन बदल गया है। पहले वे पानी के लिए कुएं या हैंडपंप पर निर्भर थीं और बहुओं को दूर से पानी लाना पड़ता था। अब घर में नल से शुद्ध पानी आसानी से मिल रहा है। मानबाई ने कहा कि अब उन्हें दूसरों से पानी मांगने की जरूरत नहीं है, जिससे उनका जीवन सरल और सुविधाजनक हो गया है।



भारतीय वायु सेना

शौर्य, अनुशासन और समर्पण का प्रतीक

भारतीय वायु सेना का नाम आते ही हर भारतीय के दिल में गर्व और सम्मान की भावना उमड़ती है। हमारे वीर जवानों की अनुशासन, समर्पण और अद्वितीय साहस की कहानियाँ केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में प्रेरणादायक मानी जाती हैं। भारतीय वायु यह न सिर्फ युद्ध के दौरान भारत की रक्षा करती है बल्कि विभिन्न आपदाओं में राहत एवं बचाव कार्यों में मदद भी करती है।

सशस्त्र सैन्य समारोह: भारतीय सेना की ताकत और शौर्य का अनूठा प्रदर्शन

भारत हमेशा से वीरता, साहस और समर्पण की भूमि रही है। हमारे सशस्त्र बलों ने समय-समय पर अपनी वीरता से हमें गौरवान्वित किया है। भारतीय सेना की ताकत, अनुशासन और अद्वितीय कौशल ने न केवल देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा है, बल्कि दुनिया भर में इसका मान-सम्मान बढ़ाया है। इसी भावना को सजीव रूप में प्रस्तुत करने के लिए रायपुर में 5 से 7 अक्टूबर 2024 को भव्य सशस्त्र सैन्य समारोह और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किया, जो भारतीय सेना की वीरता और अनुशासन का अद्भुत परिचायक था।

गर्व का प्रतीक, भारतीय सेना

भारतीय सेना न केवल एक सैन्य शक्ति है, बल्कि यह देश के हर नागरिक के लिए गर्व का प्रतीक है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर सेना की अद्वितीय ताकत और शौर्य की सराहना करते हुए कहा, “सेना की ताकत और उसके जवानों के शौर्य को देखकर गर्व और रोमांच का अनुभव होता है। जब भी देश पर कोई खतरा मंडराया, हमारी सेना ने हमेशा दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। समारोह में प्रदर्शित किए गए हथियारों और टैंकों, जैसे टी-90 भीष्म, बीएम्पी, और एल-70 एंटी-एयरक्राफ्ट गन, ने भारतीय सेना की अद्यतित तकनीक और युद्धक क्षमता को दर्शाया। इन उपकरणों ने सेना की ताकत को न केवल जनमानस के सामने रखा, बल्कि हमारी सैन्य तकनीकी प्रगति का भी स्पष्ट परिचय दिया।

वीरता का रोमांचक प्रदर्शन

समारोह का सबसे रोमांचक पहलू सेना के जवानों द्वारा किए गए हैरतअंगेज करतब थे। पैरा जंपिंग से लेकर खुखरी डांस, डेयर डेविल मोटरसाइक्लिंग से लेकर घुड़सवारी तक, इन सभी प्रदर्शनों ने न केवल दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, बल्कि यह भी दिखाया कि सेना के जवान कितने अद्भुत साहस और कौशल से भरे होते हैं। इन करतबों ने दर्शकों के दिलों में गर्व की भावना उत्पन्न की और सेना के प्रति सम्मान और गहरा हुआ। मुख्यमंत्री श्री साय ने इन करतबों की सराहना करते हुए कहा, “सेना के जवानों की वीरता को देखकर हर भारतीय के मन में गर्व और जोश की लहर दौड़ जाती है। इन वीर जवानों का एकमात्र उद्देश्य देश की रक्षा और सम्मान को बनाए रखना है।”

सेना की प्रदर्शनी: तकनीक और प्रेरणा का संगम

इस भव्य सैन्य प्रदर्शनी में दर्शकों को भारतीय सेना के आधुनिक हथियारों, ड्रोन और अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों का करीब से अवलोकन करने का अवसर मिला। भारतीय सेना द्वारा वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले हथियारों और टैंकों के अलावा, कुछ ऐतिहासिक युद्धक उपकरण भी प्रदर्शनी में शामिल किए गए थे, जिन्हें सेना ने धरोहर के रूप में संजो कर रखा है।

देशभक्ति और प्रेरणा का संदेश

इस सैन्य समारोह का उद्देश्य न केवल भारतीय सेना की ताकत का प्रदर्शन करना था, बल्कि युवाओं को सेना में शामिल होकर देश सेवा के लिए प्रेरित करना भी था। समारोह में आए बड़ी संख्या में युवा और बच्चों ने सेना के शौर्य को देखकर प्रेरणा ली और देश सेवा के प्रति अपने उत्साह को बढ़ाया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा, “देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए सेना का एक जवान ही काफी होता है। यह प्रदर्शनी हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी।



इतिहास

भारतीय वायुसेना का औपचारिक गठन 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश सेना की सहायक सेना के रूप में किया गया था। यह रॉयल एयर फोर्स की सहायता करने वाले विमानों और कर्मियों का एक छोटा सा बल था। पहला ऑपरेशनल स्क्वाड्रन 1 अप्रैल 1933 को स्थापित किया गया था, जिसमें चार वेस्टलैंड वापिटी बाइप्लेन और पांच भारतीय पायलट थे। भारतीय वायुसेना सदियों से दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायु सेनाओं में से एक के रूप में उभरी है, जो सैन्य अभियानों के साथ-साथ मानवीय मिशनों के वितरण में एक मजबूत उपकरण के रूप में उभरी है। भारतीय वायुसेना दिवस भारतीय वायुसेना कर्मियों की ईमानदारी और बहादुरी का उत्सव है जो भारत की संप्रभुता की रक्षा करते हैं। ऐसे दिनों में, परेड, एयर शो और प्रदर्शनों जैसे विभिन्न कार्यक्रम होते हैं जो भारतीय वायुसेना की क्षमताओं और प्रगति को दर्शाते हैं। ऐसे आयोजन युवा भारतीयों को वायुसेना का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे भर्ती प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है।

2024 के लिए थीम

भारतीय वायु सेना - सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर इस वर्ष की थीम है जिसका अर्थ है शक्तिशाली, ताकतवर और आत्मनिर्भर। थीम भारतीय वायुसेना की आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण की बात करती है। यह भारत की एक मजबूत रक्षा क्षमता के दूरगामी दृष्टिकोण को प्रतिध्वनित करता है।

भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य

भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है- ‘नभः स्पृशं दीप्तम्’। यह गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। यह महाभारत के युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का एक अंश है।

मुख्यमंत्री ने भारतीय वायुसेना दिवस पर दी बधाई

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर देश के साहसी वायु सैनिकों को बधाई दी है। इस अवसर पर उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर वायु सैनिकों को नमन किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वायु सेना के वीर योद्धाओं ने मातृभूमि की रक्षा के साथ विषम परिस्थितियों में नागरिकों की जान बचाने और देश में शांति-सौहार्द स्थापित करने में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। भारतीय वायु सेना ने कई अवसरों पर अपनी असाधारण क्षमता को साबित किया है। मातृभूमि के सम्मान, सुरक्षा, शांति और बचाव के लिए हमेशा तैयार रहने वाले वायु सैनिकों के बलिदान का देश हमेशा ऋणी रहेगा।



छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री के हाथों नक्सल हिंसा से 70 प्रभावितों को मिला नियुक्ति आदेश



मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बीजापुर में विकास की नई पहल की है। उन्होंने बीजापुर जिला अस्पताल के बिस्तरों की संख्या को सौ से बढ़ाकर दो सौ करने की घोषणा की। इसके अलावा, उन्होंने नक्सल पुनर्वास नीति के अंतर्गत नक्सल पीड़ित परिवारों के 70 आश्रितों को शासकीय नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने बीजापुर के मिनी स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 263 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से 209 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इनमें से 145 विकास कार्यों का भूमि पूजन 228 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से और 64 कार्यों का लोकार्पण 35 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से किया गया। मुख्यमंत्री ने बीजापुर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, भोपालपटनम में 132 केवी की विद्युत सब स्टेशन की स्थापना, 33 नए स्कूल खोलने, केंद्रीय पुस्तकालय और विशेषज्ञ चिकित्सकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जोड़ने की योजनाओं की भी घोषणा की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत गृह प्रवेश, तेंदूपत्ता बोनस, किसान सम्मान निधि योजना की राशि, किसान क्रेडिट कार्ड और खेल सामग्री का वितरण भी किया गया।

खादी वस्त्रों की खरीद पर 25% की छूट

छत्तीसगढ़ में खादी वस्त्रों की खरीद पर 25% की बड़ी छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गांधी जयंती के अवसर पर यह महत्वपूर्ण घोषणा की। मुख्यमंत्री राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान बिलाईगढ़ के संत बिसाहू दास महंत राज्य पुरस्कार से पुरस्कृत बुनकर देवानंद देवांगन द्वारा तैयार गोदना पेंटिंग आर्ट वाली कोसे की साड़ी भी खरीदी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा की 2 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2025 तक खादी वस्त्रों की खरीद पर प्रदेशवासियों को 25% की बड़ी छूट मिली मिलेगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से खादी वस्त्र खरीदने की अपील की और छूट का लाभ लेने को कहा।

कोरबा-बिलासपुर-रायपुर से नागपुर तक नया औद्योगिक कॉरिडोर बनेगा



छत्तीसगढ़ के कोरबा-बिलासपुर-रायपुर होते हुए नागपुर तक नया औद्योगिक कॉरिडोर को जल्द मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके साथ ही नवा रायपुर में आईटी और मल्टी-सेक्टर तथा अन्य ग्रोथ हब्स में मल्टी-सेक्टर सेज स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के साथ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक

कार्यक्रमों के आयोजन की भी मांग की। इससे राज्य की वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और नए व्यापारिक अवसर उत्पन्न होंगे। केंद्रीय मंत्री ने इन सभी प्रस्तावों पर सहमति जताते हुए जल्द कार्यान्वयन का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री साय ने नवा रायपुर में आईटी सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) और राज्य के अन्य ग्रोथ हब्स में मल्टी-सेक्टर सेज स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा। इसके लिए जांचगीर और राजनांदगांव में 400 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है।

छत्तीसगढ़ को 8 नेशनल हाईवे की सौगात

केंद्रीय रोड एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ के बेमेतरा, मुंगेली, राजनांदगांव, जशपुर, बिलासपुर और खैरागढ़ जिलों में 8 राज्य सड़क खंड के विकास कार्य के लिए वित्त वर्ष 2024-25 सीआरआईएफ योजना के तहत 892.36 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है। जिसके बाद सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर आभार जताया है। सीएम श्री साय ने अपने X अकाउंट पर ट्वीट कर लिखा कि, छत्तीसगढ़ के लिए यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि राज्य के बेमेतरा, मुंगेली, राजनांदगांव, जशपुर, बिलासपुर और खैरागढ़ जिलों में 8 राज्य सड़क खंडों के विकास के लिए सीआरआईएफ योजना के तहत 892.36 करोड़ रुपये की स्वीकृति आपके द्वारा प्राप्त हुई है।

मुख्यमंत्री ने 87 करोड़ 25 लाख रुपए से अधिक की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण

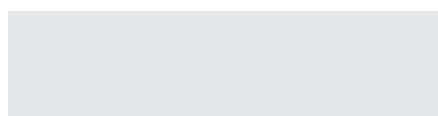
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने धमतरी जिले के पंडित रविशंकर जलाशय गंगरेल में 5 अक्टूबर को जल जगार महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर 87 करोड़ 25 लाख 77 हजार रुपए के कुल 49 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 65 करोड़ 84 लाख 91 हजार रुपए के 33 कार्यों का लोकार्पण और 21 करोड़ 40 लाख 86 हजार रुपए के 16 कार्यों का शिलान्यास शामिल है।

राज्योत्सव 4 से 6 नवंबर तक आयोजन

छत्तीसगढ़ में इस वर्ष राज्योत्सव 2024 का आयोजन 4 से 6 नवंबर तक नवा रायपुर स्थित राज्योत्सव मेला स्थल पर किया जाएगा। राज्य स्तरीय राज्योत्सव और राज्य अलंकरण समारोह का आयोजन एक साथ आयोजित होगा। कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग मंत्रालय महानदी भवन द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दी गई है। राज्य स्तरीय राज्योत्सव का शुभारंभ नवा रायपुर स्थित राज्योत्सव मेला स्थल में 4 नवंबर 2024 को होगा। जिसका समापन 6 नवंबर 2024 को होगा। अंतिम दिवस समापन समारोह के दिन राज्य अलंकरण समारोह भी आयोजित किया जाएगा। वहीं सभी जिला मुख्यालयों में 5 नवंबर को एक दिवसीय जिला स्तरीय राज्योत्सव भी आयोजित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने ग्राम मसेनार एवं पाहुरनार को प्रदान किया संपूर्ण जैविक ग्राम का प्रमाण पत्र

दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने विकासखण्ड दंतेवाड़ा के ग्राम मसेनार एवं विकासखण्ड गीदम के ग्राम पाहुरनार को संपूर्ण जैविक ग्राम का प्रमाण पत्र प्रदान किया। यहां देश के सबसे अधिक रकबे 65 हजार 279 हेक्टेयर एवं 110 ग्रामों में 10 हजार 264 किसानों के द्वारा जैविक खेती की जा रही है, जिन्हें वृहद क्षेत्र प्रमाणीकरण के अन्तर्गत भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के द्वारा जैविक प्रमाणीकृत किया गया है।



राष्ट्रीय

वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण



भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, और इसका ताजा उदाहरण राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण फायरिंग रेंज में बहुत ही कम दूरी की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण है। यह चौथी पीढ़ी की उन्नत रक्षा प्रणाली है, जिसे कम ऊंचाई पर और बेहद कम दूरी के हवाई खतरों को नष्ट करने के लिए विकसित किया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित इस मिसाइल प्रणाली को डीआरडीओ और भारतीय कंपनियों के सहयोग से डिजाइन किया गया है। इस नई मिसाइल प्रणाली के सफल परीक्षण ने भारत की वायु रक्षा को और सुदृढ़ किया है, जो पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान से आने वाले किसी भी हवाई खतरे का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है।

किसानों की आय बढ़ाने व खाद्य सुरक्षा के लिए एक लाख करोड़

केंद्र सरकार ने किसानों और मध्यम वर्ग की आय बढ़ाने को लेकर बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बैठक में किसानों की आमदनी को बढ़ाने और मध्यम वर्ग की खाद्य सुरक्षा के लिए पहला फैसला किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नोति योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसका बजट 1,01,321 करोड़ रुपये होगा। दोनों योजनाओं के तहत 9 अलग-अलग योजनाएं हैं।

पीएम इंटरशिप योजना शुरू प्रतिमाह मिलेंगे 5,000

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में घोषित की गई पीएम इंटरशिप योजना अब पायलट आधार पर शुरू हो चुकी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है, जिसमें 21 से 24 वर्ष की आयु के युवाओं को इंटरशिप के दौरान 5000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 12 अक्टूबर से, युवा इस योजना के लिए पोर्टल का उपयोग कर सकेंगे और 25 अक्टूबर तक अपनी योग्यताओं को अपलोड कर सकेंगे। इसके बाद चयन प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें 27 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच कंपनियां योग्य उम्मीदवारों का चयन करेंगी।

भारत-मालदीव को 40 करोड़ डॉलर की सहायता मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की दिल्ली यात्रा ने भारत-मालदीव के संबंधों को और मजबूती दी है। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई अहम समझौतों पर सहमति जताई, जिसमें 40 करोड़ डॉलर की मुद्रा विनिमय सहायता और मालदीव में रुपये कार्ड की शुरुआत शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक के बाद राष्ट्रपति मुइज्जू ने भारत द्वारा मालदीव को दिए गए आर्थिक और बुनियादी ढांचे में सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। वहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और गहरे संबंधों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।

दिसंबर में रेलवे चलाएगा हाइड्रोजन ट्रेन

भारतीय रेलवे ने साल 2030 तक खुद को 'नेट जीरो कार्बन एमिटर' बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए रेलवे कई नए कदम उठा रहा है। इसमें हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें चलाना भी शामिल है। पहली हाइड्रोजन ट्रेन अगले साल यानी 2024-25 में शुरू हो सकती है। इससे पहले, इस साल के आखिर तक इसकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। यह पहली हाइड्रोजन ट्रेन दिल्ली डिवीजन के 89 किलोमीटर लंबे जींद-सोनीपत रूट पर चलेगी।

दिल्ली पहुंची नमो भारत ट्रेन

दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर जल्द ही नमो भारत ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। इसके लिए साहिबाबाद से दिल्ली के न्यू अशोक नगर के बीच इसका ट्रायल रन शुरू कर दिया गया है। अगले वर्ष जून तक 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर (RRTS Corridor) पर इस ट्रेन का परिचालन शुरू करने का लक्ष्य है। इससे एक घंटे से भी कम समय में दिल्ली से मेरठ की यात्रा संभव हो सकेगी। वर्तमान में नमो भारत ट्रेन रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के साहिबाबाद स्टेशन से मेरठ साउथ तक 42 किलोमीटर के खंड में संचालित है। साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक नमो भारत ट्रेन चलने से आरआरटीएस के संचालित खंड की लंबाई बढ़कर 54 किलोमीटर हो जाएगी, जिसमें 11 स्टेशन होंगे।

एसबीआई इस साल दस हजार लोगों को नौकरी की तैयारी में

भारतीय स्टेट बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 10,000 भर्तियां करने का ऐलान किया है। भर्तियां सामान्य बैंकिंग जरूरतें पूरी करने और तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए की जाएंगी। एसबीआई के चेयरमैन सी.एस. शेटी ने बताया कि बैंक ने हाल ही 1,500 टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों की भर्ती की है। इनमें डेटा वैज्ञानिक, डेटा आर्किटेक्ट्स और नेटवर्क ऑपरेटर्स शामिल हैं। बैंक चालू वित्त वर्ष में देशभर में 600 नई शाखाएं खोलने की भी योजना बना रहा है। मार्च 2025 तक एसबीआई के पास देशभर में 22,542 शाखाएं होंगी।

पहली बार शुक्र का स्थलाकृति नक्शा बनाएगा भारतीय मिशन

धरती के निकटतम ग्रह शुक्र पर मिशन भेजने की तैयारी कर रहा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) 19 विशिष्ट पे-लोड के जरिए शुक्र के वायुमंडल, उसकी सतह और उप सतह का संपूर्ण विश्लेषण करेगा। साथ ही स्थलाकृति का नक्शा भी तैयार होगा। यह भविष्य के मिशनों की दिशा तय करने वाला मिशन साबित होगा। इसरो ने कहा कि अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और पूर्व सोवियत संघ ने 1960 और 70 के दशक में शुक्र पर शुरुआती मिशन भेजे। उन मिशनों से ग्रह की वायुमंडलीय संरचना, सतह की विशेषताओं और चुंबकीय वातावरण के बारे में प्रारंभिक जानकारी मिली। 1970 और 80 के दशक में भेजे पायनियर वीनस और वेगा मिशन ने शुक्र के वायुमंडल के बारे में समझ का विस्तार किया।

नई दिल्ली में 'हमसफर नीति' की शुरुआत

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा की सुविधा बढ़ाने और सड़क किनारे सुविधाओं के विकास में तेजी लाने के लिए नई दिल्ली में 'हमसफर नीति' की शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि इस योजना से समाज के स्थानीय सीमांत वर्गों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि यह योजना सुगम, सुरक्षित और सुखद यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी।



अंतरराष्ट्रीय

क्षेत्रीय-वैश्विक चुनौतियों से मिलकर
निपट रहे भारत-अमेरिका

भारत-अमेरिका में क्षेत्रीय वैश्विक चुनौतियों से निपटने पर काम जारी है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटीनी ब्लिंकन ने वाशिंगटन में इस पर व्यापक चर्चा की। ब्लिंकन ने कहा, हमने जलवायु संकट पर निरंतर सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा-समृद्धि पर चर्चा की। दोनों देश साथ मिलकर चुनौतियों से निपटेंगे। जयशंकर ने कहा, हमने डेलावेयर द्विपक्षीय और क्वाड बैठकों पर की चर्चाओं में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने, हिंद-प्रशांत और यूक्रेन में हाल के घटनाक्रम पर चर्चा की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, जयशंकर-ब्लिंकन ने क्षेत्रीय वैश्विक चुनौतियों पर समन्वय करने तथा उभरती प्रौद्योगिकियों पर सहयोग बढ़ाने की दिशा में भारत अमेरिका की स्थायी प्रतिबद्धता पर चर्चा की।

चीन के बाद भारत है विश्व का दूसरा
सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश

दुनिया भर में विश्व कपास दिवस मनाया जा रहा है। वैश्विक वस्तु के रूप में कपास के महत्व को पहचानने और दुनिया भर में कपास किसानों और कपास उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हर साल 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। कपास का उपयोग मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग में किया जाता है। यह पशु चारा, चिकित्सा आपूर्ति और खाद्य तेल बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस वर्ष इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की पाँचवीं वर्षगांठ है। वर्तमान में, भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकीपॉक्स के लिए
पहले नैदानिक परीक्षण को दी मंजूरी

विश्व स्वास्थ्य संगठन-डब्ल्यूएन एच ओ ने संक्रामक रोग मंकीपॉक्स के लिए पहले नैदानिक परीक्षण को मंजूरी दे दी है। आपातकालीन प्रयोग प्राधिकरण ने उम्मीद जताई है कि मंकीपॉक्स से प्रभावित उन देशों में, जहां त्वरित और सटीक परीक्षण की मांग बढ़ी है, वहां नैदानिक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। अफ्रीका में मंकीपॉक्स से अब तक 8 सौ से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 30 हजार से अधिक मामले सामने आए हैं। अफ्रीकी संघ के रोग नियंत्रण केंद्र के अनुसार यह बीमारी 16 देशों में पाई गई है। सबसे गंभीर स्थिति कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है। मंकीपॉक्स संक्रमित जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार, मांसपेशियों में दर्द और त्वचा पर बड़े फोड़े जैसे घाव शामिल हैं।

नेपाल भारत और बांग्लादेश ने किया
एक त्रिपक्षीय समझौता

भारत, नेपाल और बांग्लादेश ने भारत के पावर ग्रिड के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। काठमांडू में हुए इस समझौते से नेपाल को पहली बार बांग्लादेश को बिजली बेची जाएगी। इससे पहले नेपाल केवल भारत को बिजली बेचता था। समझौते के अनुसार बांग्लादेश अब नेपाल से 40 मेगावाट बिजली खरीदेगा। नेपाल की बिजली भारतीय क्षेत्र

में पारेषण बुनियादी ढांचे के माध्यम से बांग्लादेश पहुंचेगी, इसलिए समझौते में भारत भी शामिल है। इस समझौते से नेपाल विद्युत प्राधिकरण को लगभग 330 करोड़ रुपये की आय का अनुमान है।

भारत-यूएई की नई शुरुआत, यूपीआई-एएएनआई
लिंक से सीमापार लेन-देन होगा आसान

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच डिजिटल भुगतान को और भी सरल और तेज बनाने की दिशा में काम हो रहा है। भारतीय यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) और यूएई की अमीरात डिजिटल भुगतान प्रणाली को जोड़ने की योजना पर दोनों देश कार्यरत हैं। इस पहल से विशेष रूप से यूएई में रह रहे 30 लाख से अधिक भारतीयों को फायदा मिलेगा, जिससे सीमा पार लेन-देन और भी आसान हो जाएगा। इसके साथ ही, यूएई ने भारत में फूड पार्क स्थापित करने पर सहमति दी है, जिसमें आने वाले दो से ढाई वर्षों में लगभग दो अरब डॉलर का निवेश होने की संभावना है। इससे यूएई में खाद्य सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और भारतीय किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।

गूगल को अन्य एप स्टोर के लिए
खोलना होगा एंड्रायड

अमेरिकी संघीय कोर्ट के निर्देश पर इंटरनेट दिग्गज गूगल को आगामी 1 नवंबर से अपना एंड्रायड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रतिद्वंद्वी एप स्टोर्स के लिए खोलना होगा। अदालती आदेश प्ले स्टोर लाइब्रेरी में मौजूद लाखों एंड्रायड एप्स को प्रतिद्वंद्वियों के लिए भी सुलभ बना देगा, जिससे उन्हें प्रतिस्पर्धी चयन की पेशकश की अनुमति मिलेगी। कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज जेम्स डोनाटो ने गूगल एकाधिकार तोड़ने के लिए कंपनी को कई बदलाव करने को कहा। इसमें एप डेवलपर्स को बिलिंग विकल्प की सुविधा देना भी शामिल है। इसके बाद एप निर्माता एंड्रायड इकोसिस्टम के बाहर यूजर्स से शुल्क वसूल सकेंगे।

भारत से द्विपक्षीय रिश्ते बढ़ाने को चीन तैयार

चीन ने को कहा कि वह भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों के सुदृढ़ और विकास को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने के लिए तैयार है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, वह पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ पर शी जिनपिंग को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिखे गए पत्र को बेहद खास मानता है।

बोरिस जॉनसन की किताब में प्रधानमंत्री मोदी
को बताया बड़ा बदलाव लाने वाला नेता

ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी नई किताब में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बड़ा बदलाव लाने वाला नेता बताया है। श्री जॉनसन ने कहा है कि उन्हें श्री मोदी से पहली मुलाकात में अलौकिक ऊर्जा का अनुभव हुआ था। उन्होंने एक पूरा अध्याय भारत-ब्रिटेन संबंधों को समर्पित किया है और कहा है कि ब्रिटेन को प्रधानमंत्री मोदी जैसे मित्र की तलाश थी। श्री जॉनसन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे मित्र के कारण ही भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की नींव रखी जा सकी थी।

चीनी सेना ने ताइवान के निकट
नया सैन्य अभ्यास शुरू

चीनी सेना ने ताइवान के निकट अभ्यास शुरू किया है। यह घटनाक्रम स्व-शासित लोकतांत्रिक द्वीप के अपना राष्ट्रीय दिवस मनाने के कुछ ही दिनों बाद हुआ है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि संयुक्त स्पोर्ट्स-2024बी अभ्यास ताइवान के कई क्षेत्रों में हो रहा है।

भारतीय टीम ने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण
सहित कुल 24 पदक जीते

भारतीय निशानेबाजों ने पेरू की राजधानी लीमा में आयोजित विश्व जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप में अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक सहित कई महत्वपूर्ण पदक जीते। दीपक दलाल, कमलजीत, और राज चंद्रा की टीम ने 50 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में अजरबैजान को मात देकर स्वर्ण पदक हासिल किया। कुल 1616 अंकों के साथ भारतीय टीम ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जबकि आर्मेनिया की टीम तीसरे स्थान पर रही। भारत ने इस प्रतियोगिता में 13 स्वर्ण, तीन रजत और आठ कांस्य पदक के साथ कुल 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत की। इटली और नॉर्वे क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा, मुकेश नेलवल्ली ने व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, जो उनका छठा पदक था।

भारतीय जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर ने किया
संन्यास का ऐलान

दिग्गज जिम्नास्ट 31 साल की दीपा कर्माकर ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की। दीपा 2016 रियो ओलंपिक में मामूली अंतर से पदक से चूक गई थी पर ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया। दीपा ने महज छह साल की उम्र से ही जिम्नास्टिक में प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। इसके बाद 14 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने जूनियर नेशनल जीता। खेल रत्न से सम्मानित दीपा ने 2014 में ग्लास्गो में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहली बार जिम्नास्टिक में पदक दिलाया।

पंकज आडवाणी ने जीता सिंगापुर
ओपन बिलियर्ड्स खिताब

बिलियर्ड्स में भारतीय खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने जाडेन ओंग को पांच-एक से हराकर सोंधे सिंगापुर ओपन खिताब जीत लिया है। पहले दो फ्रेम पर आडवाणी का दबादबा रहा, जबकि तीसरे में ओंग ने जीत दर्ज की। चौथे फ्रेम में आडवाणी ने फिर से खेल को अपने कब्जे में कर लिया। फाइनल फ्रेम में आडवाणी ने 74-6 से प्रतिस्पर्धा में प्रभावशाली जीत के साथ खेल सम्पन्न किया। आडवाणी अब विश्व बिलियर्ड्स खिताब के लिए नवम्बर महीने में दोहा में स्पर्धा करेंगे।

एशियाई क्रास कंट्री के लिए गुलबीर भारतीय टीम में

लंबी दूरी के धावक गुलबीर सिंह को 20 अक्टूबर को हांगकांग में होने वाली एशियाई क्रास कंट्री चैंपियनशिप के लिए आठ सदस्यीय भारतीय सीनियर टीम में शामिल किया गया। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में होने वाली चैंपियनशिप के लिए टीमों की घोषणा की। सीनियर पुरुष टीम: गुलबीर सिंह, कार्तिक कुमार, अभिषेक पाल, अरुण।

श्रीलंका ने सनथ जयसूर्या को हेड कोच बनाया

दिग्गज बैटिंग ऑलराउंडर सनथ जयसूर्या श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के हेड कोच बनाए गए हैं। श्रीलंका क्रिकेट की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जयसूर्या को हेड कोच बनाने का फैसला लिया। SLC ने इस बात की जानकारी एक X पोस्ट के जरिए दी। 55 साल के जयसूर्या को भारत, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम के प्रदर्शन का इनाम मिला है। टीम ने सितंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अपने घर में क्लीन स्वीप किया है। टीम

ने इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट में 8 विकेट से हराया, हालांकि टीम 3 मैचों की सीरीज 2-1 से गंवा बैठी। इससे पहले, टीम ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में 2-0 की जीत हासिल की थी। जयसूर्या सितंबर महीने में श्रीलंकाई टीम के अंतरिम हेड कोच बनाए गए थे। जयसूर्या का कार्यकाल 31 मार्च 2026 तक रहेगा।

भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से
पहला टी-20 हराया

भारत ने बांग्लादेश को पहले टी-20 में 7 विकेट से हरा दिया। ग्वालियर के माधवराव सिंधिया स्टेडियम में भारत ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। बांग्लादेश ने 19.5 ओवर में 127 रन बनाए। भारत ने 11.5 ओवर में 3 ही विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। भारत से अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती ने 3-3 विकेट लिए। संजू सैमसन और सूर्यकुमार यादव ने 29-29 रन बनाए। हार्दिक पंड्या ने 39 रन बनाकर मैच खत्म किया। पहला टी-20 जीतकर भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।

महिला वर्ल्ड टी 20: ऑस्ट्रेलिया ने लगातार
13वीं जीत दर्ज की

डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने महिला टी20 वर्ल्ड कप में अपना विजयी अभियान कायम रखा है। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड पर 60 रन से जीत दर्ज की। यह ऑस्ट्रेलिया की महिला टी20 वर्ल्ड कप में लगातार 13वीं जीत है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 148/8 का स्कोर बनाया। बेथ मूनी ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। एमेलिया केर ने 4 और रोजमेरी मेयर व ब्रूक हेलेडे ने 2-2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 19.2 ओवर में 88 रन पर ढेर हो गई। टीम की 8 खिलाड़ी दोहरी संख्या तक नहीं पहुंच सकीं। केर ने 29 रन की पारी खेली। प्लेयर ऑफ द मैच मैगन शट ने 3.2 ओवर में सिर्फ 3 रन देकर 3 विकेट झटके। उनका एक ओवर मेडन रहा।

एशियन टेटे में भारतीय महिलाओं को पहला मेडल

भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम ने एशियन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचकर पहली बार मेडल पक्का किया। भारतीय टीम ने क्वाटर फाइनल में पेरिस ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट टीम दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराया। इस मुकाबले की स्टार भारत की अहिका मुखर्जी व मणिका बत्रा रहीं। उन्होंने वर्ल्ड नंबर-8 शिन युबिन को 11-9, 7-11, 12-10, 7-11, 11-7 से हराया। फिर मणिका बत्रा ने वर्ल्ड नंबर-16 जियोन जिही को 12-14, 13-11, 11-5, 5-11, 12-10 से मात दी। भारत की श्रीजा अकुला को अपने मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद निर्णायक मुकाबले में अहिका ने जिही को 7-11, 11-6, 12-10, 12-10 से हराकर भारत को जीत दिलाई।

बॉक्सिंग में रायपुर के खिलाड़ियों ने
जीते 6 गोल्ड सहित 16 मेडल

स्कूल स्टेट चैंपियनशिप में रायपुर जोन के बॉक्सिंग खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते - हुए 6 गोल्ड 10 सिल्वर मेडल जीता। स्कूल - शिक्षा विभाग की ओर से रायपुर में कराए जा रहे टूर्नामेंट में मंगलवार को अंडर-17 और अंडर-19 - बालिका में मुकाबले हुए। इसमें अंडर-17 कैटेगरी में खेलते हुए 44-46 किग्रा वजन वर्ग में भावना - साहू, 48-50 किग्रा में साक्षी नाग और हर्षिता वर्मा ने गोल्ड मेडल जीता। वहीं, अरना, तमन्ना, शेफ अल्फिया नाज, अनुष्का तिवारी एवं अनामिका राव ने सिल्वर मेडल जीता। इसी तरह अंडर-19 बालिका वर्ग में 60-63 वजन वर्ग में मान्यता, 63-66 वजन वर्ग में सानिया ठाकुर और 75-81 किग्रा में विभूति शर्मा ने गोल्ड जीता। जबकि नेहा, पी हर्षिता, एकता, सपना, लालिमा साहू, और झील भारती ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। दूसरी ओर बालाजी स्कूल में खेले गए अंडर-14 बालिका वर्ग के फाइनल मुकाबले में दुर्गा ने रायपुर जोन को 41-35 से शिकस्त दी और टीम को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा।



श्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

युवाओं के लिए खुले अवसरों के द्वार शासकीय भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की गारंटी

6000 से अधिक रिक्त शासकीय
पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ



मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
से जुड़ने के लिए QR CODE स्कैन करें

सीजीपीएससी भर्ती परीक्षा में
गड़बड़ी की सीबीआई जांच

विष्णु के सुशासन से सँवर रहा छत्तीसगढ़



शक्ति के वंदन का माह महतारी वंदन की राह

₹1000

खुशियों के नोटिफिकेशन का 8वां माह

महिलाओं को समर्पित होगा
हर पंचायत में बनने वाला

महतारी सदन



मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
से जुड़ने के लिए
QR CODE स्कैन करें



श्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

विष्णु के सुशासन से सँवर रहा छत्तीसगढ़

Visit us : [f ChhattisgarhCMO](#) [X ChhattisgarhCMO](#) [ChhattisgarhCMO](#) [ChhattisgarhCMO](#) [f DPRChhattisgarh](#) [X DPRChhattisgarh](#) [www.dprcg.gov.in](#)

